CENGAGE

Cengage EXAM CRACK Series®

अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं द्विपक्षीय संबंध

सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु

प्रशासनिक सेवाओं
की तैयारी में उपयोगी

prepmate®

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

और

द्विपक्षीय संबंध

सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं
की परीक्षाओं हेतु

CENGAGE

Australia • Brazil • India • Mexico • Singapore • United Kingdom • United States

CENGAGE

अंतर्राष्ट्रीय संगठन
और द्विपक्षीय संबंध

© 2019 Cengage Learning India Pvt. Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright herein may be reproduced, transmitted, stored, or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, scanning, digitizing, taping, Web distribution, information networks, or information storage and retrieval systems, without the prior written permission of the publisher.

For permission to use material from this text or product, submit all requests online at
www.cengage.com/permissions

Further permission questions can be emailed to
India.permission@cengage.com

ISBN-13: 978-93-86668-95-0
ISBN-10: 93-86668-95-5

Cengage Learning India Pvt. Ltd.
418, F.I.E., Patparganj
Delhi 110092

Cengage Learning is a leading provider of customized learning solutions with office locations around the globe, including Australia, Brazil, India, Mexico, Singapore, United Kingdom and United States. Locate your local office at: **www.cengage.com/global**

Cengage Learning products are represented in Canada by Nelson Education, Ltd.

For product information, visit **www.cengage.co.in**

विषय वस्तु

प्राक्कथन *xvii*
आभार-पूर्ति *xixi*
वीडियो-सूची *xxi*
पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्याय अनुसार विश्लेषण *xxiii*

1 संयुक्त राष्ट्र (United Nations) 1
भूमिका 1
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य 1
संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 1
संरचना 1
संयुक्त राष्ट्र महासभा 2
कोई देश कैसे संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनता है? *2*
महासभा के कार्य *3*
सुरक्षा परिषद 3
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया *3*
सचिवालय 5
महासचिव *6*
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 6
समन्वय के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का बोर्ड *7*
विशिष्ट एजेंसियां 7
खाद्य और कृषि संगठन (Food and agriculture Organization) *7*
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) *7*
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization) *7*
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) *8*

विश्व बैंक समूह (World Bank Group) 8
विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) 8
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization) 8
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) 9
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 9
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (International Civil Aviation Organization) 9
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development) 9
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization) 9
वैश्विक डाक संघ (Universal Postal Union) 10
विश्व मौसम संगठन (World Meteorological Organization) 10
विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organization) 10
संबंधित संगठन 10
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन प्रीपरेटरी आयोग (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Preparatory Commission) 10
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (International Atomic Energy Agency) 10
प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन (International Organization for Migration) 11
रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) 11
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) 11
फंड और कार्यक्रम 12
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (International Trade Centre) 12
शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) 13
संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN women) 13
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UN International Children's Emergency Fund) 13
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development) 14
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) 14
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme) 14
संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास कार्यक्रम (United Nations Human Settlements Programme) 15
विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) 16
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (United Nations Population Fund) 16

संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (United Nations Office for Project Services) 16
संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime) 16
फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) 17
कार्यात्मक आयोग 17
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) 17
महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN Commission on the Status of Women) 19
वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (United Nations Forum on Forests) 20
अन्य कार्यात्मक आयोग 21
क्षेत्रीय आयोग 21
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 21
संरचना 21
आईसीजे की आलोचना 22
निष्कर्ष 22
आईसीसी और आईसीजे में अंतर 24
विवाचन का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) 24
संयुक्त राष्ट्र का समीक्षात्मक मूल्यांकन 25
अभ्यास प्रश्न 26
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 30

2 क्षेत्रीय संगठन, संघ और समूहीकरण (Regional Organizations, Associations and Groupings) 32
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 32
उत्तर-उत्तर सहयोग (North-North Cooperation) 32
उत्तर-दक्षिण सहयोग (North-South Cooperation) 33
दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) 33
राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Nations) 34
गठन 34
चार्टर 34
राष्ट्रमंडल सरकारों के प्रमुख की बैठक 34
राष्ट्रमंडल खेल 35
भारत राष्ट्रमंडल में शामिल क्यों हुआ? 35
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association of Regional Cooperation) 35

सार्क शिखर सम्मेलन *36*
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (South Asian Free Trade Agreement) (SAFTA) *36*
सार्क की स्थिति *37*
वर्तमान विवाद *38*
बंगाल की खाड़ी पहल के लिये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation) 38
बिम्सटेक का महत्व *38*
बिम्सटेक की सीमाएं *39*
दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Sub-Regional Economic Cooperation) 40
2017 बैठक *40*
गंगा-मेकांग सहयोग (Ganga-Mekong Cooperation) 40
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (Association of Southeast Asian Nations) 40
मूल्यांकन *40*
भारत-आसियान संबंध *41*
भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता *41*
भारत-आसियान वार्ता *42*
आसियान प्लस तीन (ASEAN Plus Three) *43*
आसियान प्लस छह (ASEAN Plus Six) *43*
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) *43*
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership) 43
ट्रांस प्रशांत साझेदारी (Trans-Pacific Partnership) 43
अंतर-एटलांटिक व्यापार और निवेश साझेदारी (Transatlantic Trade and Investment Partnership, टीटीआईपी) 44
आसियान क्षेत्रीय फोरम (Asean Regional Forum) 44
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) (Asia Pacific Economic Cooperation) 45
एपेक और भारत *45*
शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization) 45
एससीओ की प्रासंगिकता *46*
एससीओ के सदस्य बनने पर भारत को लाभ *46*
हिंद महासागर रिम संघ (Indian Ocean Rim Association) 46
हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium) 47
ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) (Brazil, Russia, India, China, South Africa) 48
ब्रिक्स (BRICS) के गठन के लिए कदम *48*

ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 49
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 49
न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) New Development Bank 50
आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) Contingency Reserve Arrangement 50
भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) India, Brazil, South Africa 51
आईबीएसए शिखर सम्मेलन 51
ब्रिक्स के साथ तुलना 51
पांच देशों का समूह (जी-5) (Group of 5) 51
आठ देशों का समूह (जी-8) (Group of 8) 52
पृष्ठभूमि 52
रूस का निलंबन 52
जी 8 + 5 (G8+5) 52
20 देशों का समूह (जी-20) (Group of 20) 52
जी-5, जी-8, जी-14 और जी-20 का मूल्यांकन 53
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) (Gulf Cooperation Council) 53
इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization Of Islamic Cooperation) (OIC) 55
इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष 55
भारत के साथ विवाद 55
अरब लीग (Arab League) 56
पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन (ओपेक) (Organization of Petroleum Exporting Countries) 56
लक्ष्य 56
ओपेक का प्रभाव 57
मुख्यालय 57
इंटरपोल (Interpol) 57
इंटरपोल नोटिस 57
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) (Organization for Economic Cooperation and Development) 58
आर्कटिक परिषद (Arctic Council) 58
नॉर्डिक परिषद (Nordic Council) 58
अमेरिकी राज्यों का संगठन (Organization of American States) 58
अफ्रीकी संघ (African Union) 59
यूरोपीय संघ (European Union) 59
शुरुआत 59
यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण 59
यूरोपीय संघ का संस्थान तंत्र 60

यूरोपीय संघ को वर्तमान स्तर पर लाने वाली संधियां 61
शेंगेन क्षेत्र (Schengen Area) 62
एकल डिजिटल बाजार (Digital Single Market) 62
ब्रेक्ज़िट (Brexit) 63
अभ्यास प्रश्न 66
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 70

3 निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए संगठन, संधियां और संस्थाएं (Organizations, Treaties and Associations to Promote Disarmament) 75
निरस्त्रीकरण (Disarmament) 75
परमाणु निरस्त्रीकरण क्या है? 75
परमाणु अप्रसार संधि (Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons) 75
उद्देश्य 75
एनपीटी के तीन स्तंभ 76
भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? 76
पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? 76
उत्तर कोरिया ने एनपीटी से सदस्यता वापस क्यों ली? 77
उत्तरी कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर चिंता 77
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) 77
परमाणु परीक्षण क्या है? 77
भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं? 77
आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) (Partial Test Ban Treaty) 78
विखंडनीय पदार्थ कटौती संधि (Fissile Material Cutoff Treaty) 78
संधि का मूल्यांकन 78
अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि (African Nuclear Weapon Free Zone Treaty) 78
इस संधि का भारत पर प्रभाव 79
सामरिक शस्त्र कटौती संधि (स्टार्ट) (Strategic Arms Reduction Treaty) 79
प्रसार सुरक्षा पहल (Proliferation Security Initiative) 79
परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन (Nuclear Security Summit) 80
उद्देश्य 80
कार्यकलाप 80
सीमाएं 80
एनएसएस का निराशाजनक भविष्य 81
परमाणु हथियारों को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभियान (आईसीएएन) (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) 81

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि *81*
संधि के प्रावधान *81*
आईसीएएन ने नोबेल पुरस्कार 2017 जीता *81*
विभिन्न देशों के पास परमाणु हथियार *82*
भारत की परमाणु नीति 82
स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी *83*
परमाणु त्रय क्या है? *83*
परमाणु-संचालित पनडुब्बी की प्रासंगिकता *83*
जैविक हथियार कन्वेंशन (बीडब्ल्यूसी) (Biological Weapons Convention) 83
सत्यापन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वार्ता *84*
सामूहिक विनाश के जैविक हथियार क्या हैं? *84*
रासायनिक हथियार कन्वेंशन (सीडब्ल्यूसी) (Chemical Weapons Convention) 84
रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) *85*
सामूहिक विनाश के रासायनिक हथियार क्या हैं? *85*
जिनेवा प्रोटोकॉल (Geneva Protocol) 85
मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime) 85
एमटीसीआर सदस्यता सुरक्षित करने के लाभ *86*
वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) 86
वासेनार व्यवस्था की सदस्यता सुरक्षित करने के लाभ *86*
ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) 86
ऑस्ट्रेलिया समूह की सदस्यता सुरक्षित करने के लाभ *87*
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) 87
भारत एनएसजी की सदस्यता चाहता है *87*
भारत के लिए एनएसजी सदस्यता का महत्व *87*
बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) 88
अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) 89
अभ्यास प्रश्न 90
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 93

4 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन (International Economic Organizations) 95
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) (International Monetary Fund) 95
मंत्रिस्तरीय समिति (Ministerial Committees) *95*
कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) *96*
आईएमएफ के स्रोत *96*
भारत का आईएमएफ के साथ संबंध *96*

आईएमएफ से तकनीकी सहायता *97*
आईएमएफ की भूमिका *97*
आईएमएफ की आलोचना *97*
विश्व बैंक समूह 98
पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) (International Bank for Reconstruction and Development) *99*
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) (International Development Association) *99*
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) (International Finance Corporation) *101*
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) (Multilateral Investment Guarantee Agency) *101*
निवेश संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईसीएसआईडी) (International Centre for Settlement of Investment Disputes) *101*
विश्व बैंक की आलोचना *101*
आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट *102*
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) (Asian Development Bank) 102
एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) (Asian Infrastructure Investment Bank) 103
अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक (Bank for International Settlements) 103
पुनर्वास और विकास के लिए यूरोपीय बैंक (ईबीआरडी) (European Bank for Reconstruction and Development) 103
ईबीआरडी और भारत *104*
सदस्यता के संभावित लाभ *104*
वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (Financial Action Task Force) 104
एफएटीएफ सूचियाँ *105*
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) 105
उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नीति *105*
इतिहास *106*
विश्व व्यापार संगठन की गतिविधियां *106*
विवाद निपटान *107*
विश्व व्यापार संगठन के तहत समझौते 107
वस्तुओं पर समझौता *107*
कृषि उत्पाद पर समझौता (एओए) *108*
सेवा व्यापार पर सामान्य समझौता (गेट्स) *109*
बौद्धिक संपदा और ट्रिप्स *110*
व्यापार संबंधित निवेश उपाय (ट्रिम्स) *116*
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 116
महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठक के परिणाम *117*

11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, 2017 *118*
व्यापार सुविधा समझौता (टीएफए) *118*
सेवा सुविधा समझौता (टीएफएस) *119*
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और एओए *119*
अभ्यास प्रश्न 120
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 125

5 पर्यावरणीय संगठन, समूह तथा समझौते (Organizations, Groups and Agreements in the Field of Environment) 129
पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 129
यू.एन.एफ.सी.सी.सी. 129
क्योटो प्रोटोकॉल *129*
कार्बन क्रेडिट *130*
पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता (2015) *131*
23वीं सीओपी (COP): बॉन बैठक *133*
जलवायु परिवर्तन पर बातचीत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामले *133*
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अन्य संस्थाएं *134*
जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) 135
एजेंडा 21 135
सीबीडी से संबंधित प्रोटोकॉल 135
भविष्य के लिए मैंग्रोव (एमएफएफ) 136
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 136
रामसर कन्वेंशन 137
वियना कन्वेंशन 137
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल *137*
किगाली समझौता *138*
वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) 139
प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कंवेंशन (बॉन कंवेंशन, सीएमएस) 139
बेसेल कन्वेंशन 139
रोटरडैम कन्वेंशन 139
मिनमाटा कन्वेंशन 140
वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (जीआईएएचएस) 140
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 141
मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन

(यूएनसीसीडी) 142
ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) 142
अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (आईडब्ल्यूसी) 143
दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क 143
अरब वृक्ष अभियान 143
बायो कार्बन फंड 143
क्लब ऑफ रोम 144
पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 144
पृथ्वी दिवस *144*
पृथ्वी काल *144*
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस *144*
विश्व पर्यावरण दिवस *145*
ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस *145*
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस *145*
विश्व आवास दिवस *145*
अभ्यास प्रश्न 146
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 151

6 अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (International Non-Governmental Organizations) 158
परिचय 158
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) (World Economic Forum) 158
विश्व सामाजिक मंच (डब्ल्यूएसएफ) (World Social Forum) 159
अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता (टीआई) (Transparency International) 159
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) *159*
भारत का प्रदर्शन (2017 रिपोर्ट) *159*
अन्य देशों का प्रदर्शन *159*
वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर *160*
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के साथ तुलना *160*
एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) 160
ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) Human Rights Watch 160
रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) (International Committee Of Red Cross) 161
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Doctors Without Borders) 162
ग्रीनपीस (Greenpeace) 162
पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग (People For The Ethical Treatment Of Animals) 163

ट्रैफिक (Traffic) 163
वन्यजीवन तस्करी के खिलाफ गठबंधन (Coalition against Wildlife Trafficking) 164
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल (Birdlife International) 164
प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) World Wide Fund for Nature 164
वेटलैंड्स इंटरनेशनल (Wetlands International) 165
अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (International Water Management Institute) 165
अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह (सीजीआईएआर) (Consultative Group For International Agricultural Research) 165
स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान (Stockholm International Water Institute) 165
सतत विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solutions Network) 166
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature) 166
आईयूसीएन द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण *167*
अभ्यास प्रश्न 168
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 170

7 रिपोर्ट और सूचकांक (Reports and Indexes) 174
विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट (World Population Prospects Report) 174
2017 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं *174*
विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट (World Economic Situation and Prospects Report) 174
मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) 175
मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए नई विधि *175*
मानव विकास सूचकांक का मूल्य *176*
मानव विकास रिपोर्ट 2018 *176*
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index) 177
संकेतक *177*
सूचकांक की गणना *178*
वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक (Global Gender Gap Report) 178
वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट, 2017 *179*
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report) 179
व्यापार करने की सुगमता रिपोर्ट (Ease of Doing Business Report) 179
समावेशी विकास सूचकांक (Inclusive Development Index) 181
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (World Happiness Report) 181
2018 रिपोर्ट *181*
ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट (Global Hunger Index Report) 181

जीएचआई रिपोर्ट 2018 *182*
विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट (World Economic Outlook Report) 182
भारत के लिए अनुमान *182*
चीन के लिए अनुमान *182*
वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि अनुमान *182*
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक रिपोर्ट (Global Infrastructure Outlook Report) 183
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब *183*
भारत के लिए भविष्यवाणियां *183*
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index) 183
भारत का प्रदर्शन *183*
अभ्यास प्रश्न 184
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 186

8 शीत युद्ध (Cold War) 187
भूमिका 187
क्यूबा मिसाइल संकट (Cuban Missile Crisis) 187
महत्वपूर्ण सैन्य ब्लॉक जो शीत युद्ध के दौरान उभरे 188
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation) *188*
दक्षिण-पूर्व एशियाई संधि संगठन (1954) *190*
बगदाद संधि (1955) *191*
वारसा संधि *191*
सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन *191*
कोलंबो योजना *192*
गुट निरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) 192
भारत के एनएएम में शामिल होने के कारण *193*
एनएएम की आलोचना *193*
समकालीन प्रासंगिकता *193*
अंतिम एनएएम बैठक *193*
अभ्यास प्रश्न 194
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 196

9 भारत की विदेशी नीति के मूल तत्व (Fundamentals of India's Foreign Policy) 197
पंचशील (Panchsheel) 197
लुक ईस्ट पॉलिसी (Look East Policy) 197
लुक वेस्ट पॉलिसी (Look West Policy) 197

गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine) 198
'पड़ोसी पहले' की नीति (Neighbourhood First) 198
अभ्यास प्रश्न 200
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 202

10 भारत की विदेश नीति का विकास (Evolution of India's Foreign Policy) 203
1947-1964 में जवाहरलाल नेहरू के समय के दौरान 203
भारत-पाकिस्तान 1947-48 युद्ध *204*
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का रुख 204
कोरियाई युद्ध *204*
इंडो-चीन पठार *206*
स्वेज़ नहर मुद्दा *206*
हंगरी *207*
कांगो *207*
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध *207*
सोवियत संघ के साथ संबंध *208*
चीन के साथ संबंध *209*
1962 युद्ध *210*
लाल बहादुर शास्त्री के समय के दौरान (1964-1966) 211
1965 का युद्ध *211*
इंदिरा गांधी के प्रथम कार्यकाल के दौरान (1966-1977) 213
अमेरिका के साथ संबंध *213*
1970 के पाकिस्तान चुनाव: पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव *214*
भारत-पाक युद्ध, 1971 *214*
शिमला समझौता, 1972 *216*
पोखरण प्रथम *217*
जनता सरकार के दौरान (1977-1979) 217
पड़ोसियों के साथ संबंध *217*
राजीव गांधी के दौरान (1984-1991) 218
भारत- श्रीलंका समझौता *218*
राजीव गांधी की अन्य विदेश नीति पहल *218*
अटल बिहारी वाजपेयी के समय के दौरान (1996-2004) 219
पोखरण द्वितीय *219*
कारगिल युद्ध, मई 1999 *219*
दिसंबर 1999 विमान अपहरण की घटना *220*

भारत-पाक संबंध *220*
डॉ मनमोहन सिंह के दौरान (2004-2014) 220
मनमोहन सिद्धांत क्या है? *221*
नरेंद्र मोदी के समय के दौरान (2014 के बाद) 223
अभ्यास प्रश्न 225
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 227

11 भारत और उसके पड़ोसी (India and Its Neighbours) 228
भारत - पाकिस्तान (India-Pakistan) 228
राजनीतिक संबंध *228*
आर्थिक संबंध *230*
सांस्कृतिक संबंध *230*
परिवहन लिंक *231*
अन्य संघर्ष क्षेत्र *231*
नदी जल साझाकरण *232*
परमाणु हथियारों की दौड़ *233*
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) *233*
सीपीईसी में अफगानिस्तान के प्रवेश की संभावना *234*
कुलभूषण जाधव *236*
भारत-अफगानिस्तान (India-Afghanistan) 237
ऐतिहासिक संबंध *237*
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य *237*
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल *238*
भारत की सद्भावना कूटनीति *238*
भारत - श्रीलंका 241
तमिल मुद्दा *241*
13वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान क्या हैं? *241*
श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम *242*
मछुआरों का मुद्दा *243*
चीन की तरफ झुकाव *243*
भारत-बांग्लादेश India-Bangladesh 244
राजनीतिक संबंध *244*
आर्थिक संबंध *244*
द्विपक्षीय संबंधों में मतभेद *245*
नदी जल साझाकरण *246*

धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष वर्गों के बीच लगातार दरार 247
भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क 248
भारत और बांग्लादेश के बीच परिवहन के तरीके 248
भूमि सीमा समझौते, 2016 249
विपक्ष पर कार्रवाई 250
भारत-नेपाल 250
भारत-नेपाल मैत्री संधि में संशोधन की मांग 250
द्विपक्षीय संबंधों में मतभेद 251
चीन की ओर नेपाल का झुकाव 251
भारत पर इस रेल लिंक के प्रभाव 251
तराई क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व का अभाव 252
नेपाल चुनाव 2017 253
भारत-भूटान 255
राजनीतिक संबंध 255
लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए भारतीय सहायता 256
आर्थिक संबंध 256
बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता 257
भारत-मालदीव 258
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 258
ऑपरेशन कैक्टस 258
मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता 258
भारत-म्यांमार 259
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 259
म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना 260
आर्थिक संबंध 261
म्यांमार-बांग्लादेश-भारत (एमबीआई) पाइपलाइन 261
कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना 261
भारत, थाईलैंड, म्यांमार राजमार्ग 263
रोहिंग्या का मुद्दा 263
भारत-चीन संबंध 264
राजनीतिक संबंध 264
आर्थिक संबंध 268
सुरक्षा चिंतायें 268
जल साझाकरण 268
हाल ही के मुद्दे जिन पर मतभेद उभर कर सामने आए हैं 268

भारत और चीन के साझे हित *269*
वन-चाइना पॉलिसी *270*
वन बेल्ट, वन रोड पहल *270*
सिल्क रूट ट्रेन क्या है? *272*
बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार फोरम *273*
अभ्यास प्रश्न 275
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 277

12 अन्य देशों के साथ भारत के संबंध (India's Relations with Rest of the World) 278
भारत-अमेरिका संबंध 278
भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति *278*
आर्थिक संबंध *278*
राजनीतिक संबंध *279*
रक्षा संबंध *280*
एलईएमओए (LEMOA) *280*
साझी मान्यताएं *280*
भारत-अमेरिका परमाणु समझौता 2008 *281*
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद *281*
ट्रम्प की जीत के कारण भारत पर संभावित प्रभाव *282*
भारत-रूस 283
सोवियत संघ के पतन के बाद राजनीतिक संबंध *283*
आर्थिक संबंध *283*
ऊर्जा संबंध *284*
रक्षा संबंध *284*
रिश्ते में परेशानियां *285*
भारत-फ्रांस 286
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि *286*
राजनीतिक संबंध *286*
रक्षा संबंध *287*
व्यापार *287*
अंतरिक्ष *287*
भारत-यूरोपीय संघ 287
भारत के लिए ईयू का समकालीन महत्व *287*
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) *288*
यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन *288*

भारत-अफ्रीका 288
भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन *288*
भारत के लिए अफ्रीका का महत्व *289*
समकालीन मुद्दे *290*
एशिया-अफ्रीका समुद्री कॉरिडोर *290*
भारत-मध्य एशिया 291
मध्य एशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों का महत्व *292*
चीन के साथ तुलना *292*
भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति *293*
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) *293*
भारत-पश्चिम एशिया 295
भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध *297*
भारत-इज़राइल संबंध *297*
भारत-ईरान संबंध *299*
सैन्य उपयोग के लिए रणनीतिक ओमान बंदरगाह दुक्म तक पहुंच *303*
भारत-जापान *304*
भारत-दक्षिण कोरिया *305*
भारत-उत्तर कोरिया *305*
अभ्यास प्रश्न 305
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 308

13 समकालीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दे (Contemporary International Issues) 310
इज़राइल - फिलिस्तीन मुद्दा 310
जेरूसलम का मुद्दा *311*
यूएस और इज़राइल ने वर्ष 2017 में यूनेस्को छोड़ा *312*
इज़राइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संभव समाधान *313*
इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख *313*
दक्षिण चीन सागर विवाद 315
अरब वसंत (अरब स्प्रिंग) 319
यूक्रेन संकट 319
रूस के लिए क्रीमिया का महत्व क्या है? *320*
सीरिया संघर्ष 321
उद्गम *321*
खतरनाक दुष्प्रभाव *321*
रूस द्वारा निभाई गई भूमिका *321*

आजादी की मांग करता हुआ कैटालोनिया 321
कैटालोनिया कहां है ? *321*
आजादी आंदोलन का इतिहास क्या है? *322*
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन 322
मसौदे पर विपक्ष *323*
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन 323
आईएसआईएस या आईएस *323*
बोको हरम *325*
हाउती *326*
समाचारों में अल्पसंख्यक 326
कुर्द *326*
चकमा और हाजोंग 327
अभ्यास प्रश्न 327
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 329

14 प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora) 331
प्रवासी भारतीय (भारतीय डायस्पोरा) 331
एनआरआई और पीआईओ 331
विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय 332
एशिया में प्रवासी भारतीय 333
खाड़ी क्षेत्र *334*
दक्षिण - पूर्व एशिया *335*
पूर्वी एशिया *335*
मध्य एशिया *336*
मालदीव *336*
अफ़ग़ानिस्तान *336*
इज़राइल *336*
अफ्रीका में प्रवासी भारतीय 337
दक्षिण अफ्रीका *338*
मॉरीशस और रीयूनियन द्वीप *338*
पूर्व अफ्रीका *339*
जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर और मोजाम्बिक *339*
यूरोप में प्रवासी भारतीय 339
यूनाइटेड किंगडम *340*
अमेरिका में प्रवासी भारतीय 341

संयुक्त राज्य *342*
कनाडा *342*
कैरीबियाई: त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, मध्य और दक्षिण अमेरिका *343*
ओशिनिया में प्रवासी भारतीय 343
फिजी द्वीपसमूह *344*
अभ्यास प्रश्न 344

अभ्यास प्रश्नों तथा पिछली प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समाधान 347
मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति 367
पिछले वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा) समाधान के साथ 375

परिशिष्ट 394
1. संयुक्त सैन्य अभ्यास 394
2. प्रत्यर्पण संधि 396
3. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 1976 397
एफसीआरए (2010) 397
4. यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 398
5. पनामा पेपर्स (Panama Papers) 399
6. पैराडाइज पेपर्स (Paradise Papaers) 400

प्राक्कथन

आईएएस बनने का सपना अपनी आंखों में संजोए 'कई' उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात या परिचय हुआ होगा, जो कई वर्षों से इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तत्पर हैं और उनकी इसके प्रति प्रतिबद्धता भी निरंतर बनी हुई है। हालांकि, 'कई' शब्द इनकी व्याख्या करने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है। लेकिन जब हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तो हम इसके अर्थ को भलीभांति समझते भी हैं और इसका आदर भी करते हैं। ये युवा पुरुष और महिलाएं इस सपने को पूरा करने के लिए अपने सारे कीमती युवा वर्षों का बलिदान करने के लिए तैयार हैं, जिसके साथ-साथ यह अपनी नींद, आराम और यहां तक कि सामान्य जीवन का त्याग करने को भी तैयार हैं और उनके इस त्याग का केवल एकमात्र लक्ष्य है–**भारतीय प्रशासनिक सेवाएं।**

अफसोस की बात यह है कि अध्ययन के अंतहीन घंटों और नींद से सराबोर नजरों के बावजूद इन उम्मीदवारों की बड़ी संख्या यह सपना पूरा करने से कोसों दूर है। जब हमने यह जानने का प्रयास किया कि '**ऐसा क्यों है**', प्रतिक्रियाएं लगभग समान थीं।

"विषय इतना विशाल था कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ था और मैं इसे कभी पूरा नहीं कर सका।."

"मैंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन उसे याद नहीं रख सका।."

"मैंने पढ़ा कुछ और, लेकिन परीक्षा में पूछा कुछ और गया।."

"मैंने पढ़ना जारी रखा लेकिन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने या अभ्यास परीक्षा देने का प्रयास नहीं किया।."

"तैयारी/जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्रोत जैसे कि किताबें, कोचिंग क्लास और इंटरनेट का अनुसरण करना मुश्किल था; आखिर दिन में केवल 24 घंटे होते हैं।"

"मेरी अलमारी बहुत सारी किताबों से भरी हुई थी, लेकिन मैं मुश्किल से कुछ को ही पूरा कर पाया था।."

ऊपर कहे गए सभी कथनों ने हमें स्पष्ट रूप से एक चुनौतीपूर्ण समस्या पेश की, परंतु हमने इसे ना केवल हल करने का प्रयास किया, बल्कि हमने समग्र समाधान पर ध्यान केंद्रित किया, जो थे–विद्वत्ता हासिल करना और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना।

यह इस उद्देश्य के साथ है कि हमने–PrepMate, Cengage India के साथ मिलकर–एक व्यापक शिक्षण मॉडल विकसित किया है जो प्रिंट और डिजिटल माध्यम का संयोजन है ताकि अधिकांश उम्मीदवारों के उपर्युक्त मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

प्रिंट-डिजिटल मॉडल के बारे में

यह मॉडल यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। निम्नलिखित अनूठी विशेषताओं के कारण यह पुस्तकें अन्य उपलब्ध पुस्तकों से अलग हैं:

- हम एक वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं, सरल भाषा का उपयोग करते हैं, आरेखों के माध्यम से अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं, पर्याप्त उदाहरण उद्धृत करते हैं, एक पाठक अनुकूल प्रारूप में प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं–यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन पुस्तकों को समयबद्ध तरीके से पढ़ा और समेकित किया जा सके।
- हाल ही के वर्षों में यूपीएससी परीक्षाओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विषय सामग्री विशेष रूप से बनाई गई है। हमने प्रत्येक अध्याय के पश्चात पिछले वर्षों के प्रश्न (समाधान के साथ) भी शामिल किए हैं।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा की पूर्ण तैयारी करने के लिए पर्याप्त हैं।
- पुस्तक श्रृंखला में 'उत्तर कैसे लिखना है' के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी शामिल है जिससे आपका मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दृष्टिकोण विकसित होगा। हमने प्रश्नों को हल करके उत्तर लिखने का ढंग समझाया है और 'श्रेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की शैली' भी सुझाई है।
- हमने एक विशिष्ट विषय पर विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए सभी अध्याय-सामग्री को एक पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया है।

आम तौर पर, एक उम्मीदवार एक पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे लेखकों से संपर्क करने का अवसर कभी नहीं मिलता है। हमारा मानना है कि उम्मीदवारों और लेखकों के बीच संपर्क, उम्मीदवारों के विद्वत्ता प्राप्त करने और प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमने आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल विकसित किया है जो आपको आपकी तैयारी के दौरान निरंतर समर्थन प्रदान करता है।

यह इस डिजिटल तत्व के माध्यम से है कि हम निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

1. महत्वपूर्ण और कठिन विषयों पर वीडियो
2. उत्तर लेखन अभ्यास
3. दैनिक प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी
4. साक्षात्कार की तैयारी में सहायता
5. नियमित अद्यतन
6. दैनिक सामयिकी मामले
7. मासिक सामयिकी मामलों पर पत्रिका
8. रेडियो समाचार विश्लेषण
9. शैक्षणिक वीडियो
10. पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और समाधान
11. नि: शुल्क अध्ययन सामग्री

आपके सपने को सफल करने की दिशा में हम आपके साथी बनने के लिए तत्पर हैं।

यदि आपका कोई विशिष्ट प्रश्न या रचनात्मक प्रतिक्रिया है, तो आप हमारे साथ info@prepmate.in पर ई-मेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं।

PrepMate

आभार–पूर्ति

"हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह हम एक साथ काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकते"

PrepMate द्वारा तैयार किया गया पूरा यूपीएससी मॉडल कई वर्षों का, बहुत से लोगों की लगातार उद्भावना और विचारावेश का परिणाम है। हम ईमानदारी से उनके मूल्यवान योगदान का धन्यवाद करते हैं। मैं, PrepMate Edutech का संस्थापक, शुभम सिंगला, आप सभी का इस पूरी परियोजना में मेरे साथ बने रहने के लिए आभारी हूं। रजिंदर पॉल सिंगला, निर्मल सिंगला, रमनिक जिंदल, शरत गुप्ता, सुभाष सिंगला और विजय सिंगला–आपके निरंतर समर्थन और प्रेरणा के लिए धन्यवाद।

हम मनींदर मान, सन्दीप सिंह गढ़ा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पहली बार इस मॉडल की कल्पना करने में और फिर इस कल्पना को सहक्रियात्मक प्रिंट-डिजिटल मॉडल का प्रारूप देने में हमारी मदद की–बिना आपके हम अपने प्रतिस्पर्धात्मक आधार को विकसित करने में अक्षम रहते।

रणनीति का कार्यान्वयन अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है और डिजिटल घटक का विकास हमारी कल्पना की तुलना में काफी कठिन साबित हुआ। लेकिन हमारी तकनीकी टीम हमारे सपनों को सक्षम करने और सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित थी और उन्होंने निश्चित रूप से इसे पूरा किया। वेबसाइट और एप्लिकेशन दोनों के परीक्षण के लिए एक विशिष्ट उल्लेख के साथ, हम सुरभि मिश्रा, पार्थ और तनवीर को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद धैर्यपूर्वक और प्रभावी ढंग से अपना कार्य किया।

हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइन टीम, संदीप, सुखजिंदर और रोशनी, की सहायता के बिना हमारी वीडियो और पुस्तकें संभव नहीं हो सकतीं थीं, जिन्होंने बनाए गए ऑडियो-विज़ुअल की सर्वश्रेष्ठता को सुनिश्चित करने के लिए अंतहीन रूप से कार्य किया।

यह कहना काफी नहीं होगा कि मौजूदा विषय सामग्री का उद्गम और निरीक्षण तथा अनुपलब्ध विषय सामग्री की उत्पत्ति, इस परियोजना का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारे अध्ययन मॉडल का मूलभूत आधार हैं। विषय सामग्री योगदानकर्ताओं की हमारी टीम के बिना यह संभव नहीं था: ईशा गुप्ता, शैली जिंदल, गुरदीप कौर, सुरभि मिश्रा, शैफी गर्ग, दीपिका अरोड़ा, सुनील, भूपिंदरजीत सिंह, शांतनु, तनवीर, अनमोल, क्रिती, तान्या, साहिल, सूरज और दिलशाद, जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी–आपके महत्वपूर्ण योगदानों को आभारी रूप से स्वीकार किया जाता है।

हम अपने कर्मचारियों, गीता, जितेंद्र, मनोज और पिंकी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें श्रमशील कार्य का निष्पादन करने में सहायता की, यानी हमारी हस्तलिखित किताबों को टाइप करना- आपके योगदान की ईमानदारी से सराहना की जाती है।

यह अत्यावश्यक है कि हम ईशा गुप्ता, शैली जिंदल, अंजुम दीवान, राजेश गोयल, शिखा शर्मा और रविंदर इंदौरा को उनकी आलोचनात्मक पर रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए तथा विकास प्रक्रिया के दौरान, बाद में की गई त्रुटियों की पहचान तथा सुधार करने के लिए धन्यवाद दें।

हम इस पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रक्रिया में Cengage India की पूरी संपादकीय टीम द्वारा पहल और समर्थन को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं।

"अकेले हम कितना कम हासिल कर सकते हैं, साथ में कितना ज्यादा..."

PrepMate

वीडियो–सूची

1.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन और द्विपक्षीय संबंध के लिए कैसे तैयारी करें?
2.	संयुक्त राष्ट्र
3.	सार्क और बिम्सटेक
4.	परमाणु निरस्त्रीकरण
5.	भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद
6.	श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा
7.	नेपाल में मधेशियों का मुद्दा
8.	भारत और चीन के बीच सीमा विवाद
9.	इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दा
10.	आईएसआईएस

पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्याय अनुसार विश्लेषण

अध्याय	**2018**	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	कुल
प्राचीन इतिहास													
1. संयुक्त राष्ट्र		2		1					1	1			5
2. क्षेत्रीय संगठन, संघ और समूहीकरण	1	2	5	4	2				3	4		1	22
3. निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए संगठन, संधियां और संस्थाएं	1	1	1	1				2					6
4. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन		1	4	2	1			1	5	2	1		17
5. पर्यावरणीय संगठन, समूह तथा समझौते			9	3	4			1	2	1	1		21
6. अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन		1	2	3	1			1		2			10
7. रिपोर्ट और सूचकांक		1	2										3
8. शीत युद्ध												1	1
9. भारत की विदेशी नीति के मूल तत्व								1					1
10. भारत की विदेश नीति का विकास											1		1
11. भारत और उसके पड़ोसी		1	1										2

12. अन्य देशों के साथ भारत के संबंध	2	1	1					1			1		6
13. समकालीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दे	3				1								4
14. प्रवासी भारतीय													
कुल	**7**	**10**	**25**	**14**	**9**	**0**	**0**	**7**	**11**	**10**	**4**	**2**	**99**

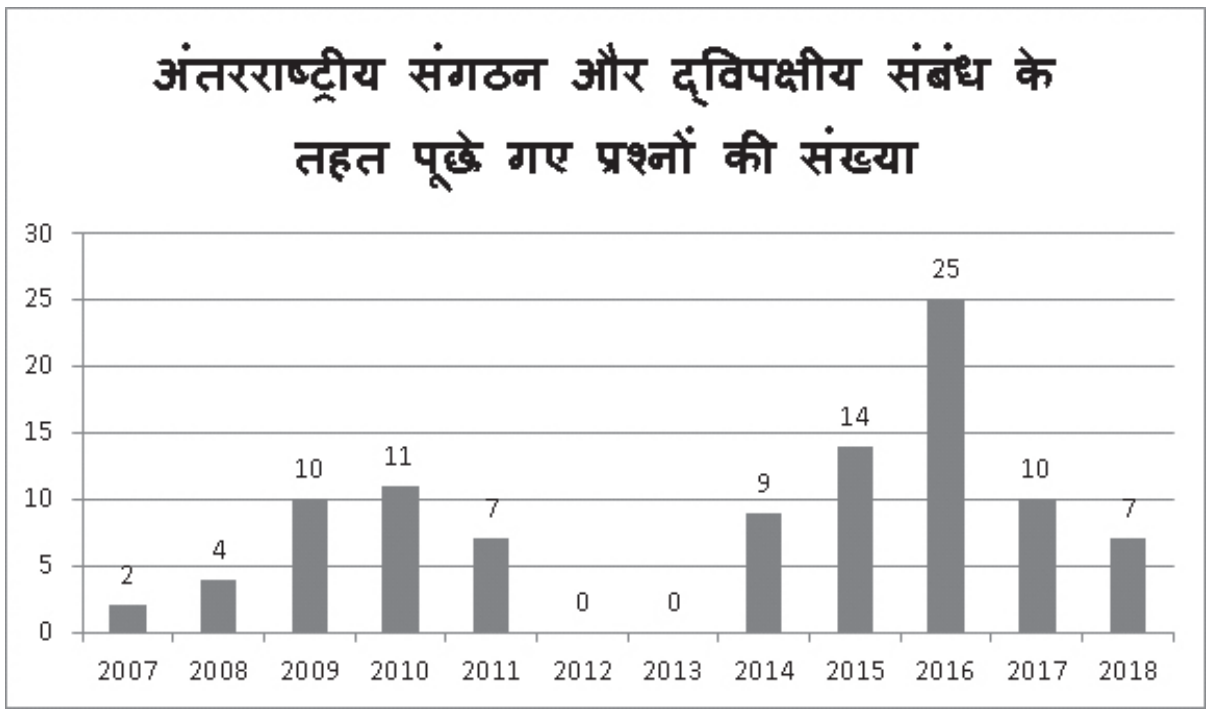
अंतरराष्ट्रीय संगठन और द्विपक्षीय संबंध के तहत पूछे गए प्रश्नों की संख्या
30
25
20
15
10
5
0
2
4
10
11
7
0
0
9
14
25
10
7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

अध्याय

1

संयुक्त राष्ट्र (UNITED NATIONS)

भूमिका

संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरह के संघर्ष को रोकने और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। चार्टर संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली का वर्णन करता है। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कार्य करना शुरू किया। इसकी स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्यीय राष्ट्र थे। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं।

मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका।

संगठन ने अप्रभावी 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) को प्रतिस्थापित किया। लीग ऑफ नेशन्स पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति को बनाए रखना था। यह 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य

1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
2. देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और समन्वय को बढ़ावा देना।
3. प्राकृतिक आपदा, सशस्त्र संघर्ष आदि में मानवतावादी सहायता प्रदान करना।
4. मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा करना आदि।

संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा

संयुक्त राष्ट्र की 6 अधिकारिक भाषाएं हैं- अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश।

संरचना

संयुक्त राष्ट्र संगठन के पांच प्रमुख अंग हैं: महासभा (General Assembly), सुरक्षा परिषद (Security Council), आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council, ईसीओएसओसी), सचिवालय (Secretariat) और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)। एक छठा अंग - न्यास परिषद (Trusteeship Council) था,

जिसने पलाऊ की आजादी पर नवंबर 1994 में अपने परिचालन को निलंबित कर दिया था। पलाऊ आखिरी कॉलोनी थी। न्यास परिषद की स्थापना उपनिवेशों (कॉलोनियों) को स्वतंत्र राष्ट्रों में परिवर्तित करने के लिए हुई थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन क्षेत्रों को उनके निवासियों और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में प्रशासित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचारशील निकाय है। इसमें 193 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है जिसमें सबसे नवीनतम सदस्य देश दक्षिण सूडान है। महासभा समानता के नियम पर काम करती है और इस प्रकार सभी देशों के पास एक वोट है। यद्यपि प्रमुख निर्णयों को आम सहमति के आधार पर लिया जाता है।

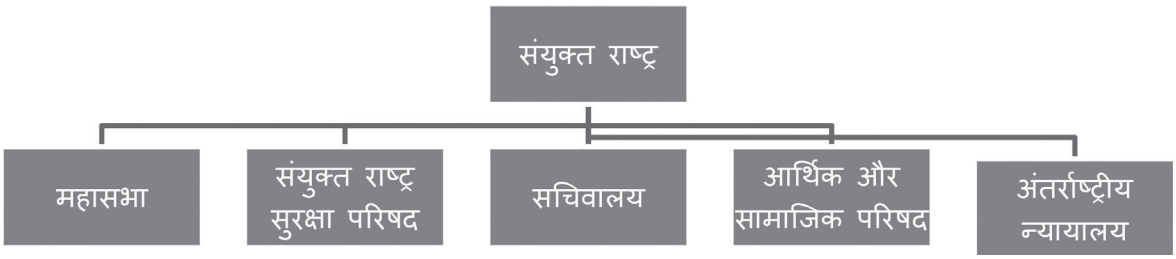

कोई देश कैसे संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनता है?

संयुक्त राष्ट्र चार्टर बताता है कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कौन बन सकता है। इसके अनुसार, वे सभी देश सदस्य बन सकते हैं, जो शांतिप्रिय हैं और घोषणा पत्र में लिखे हुए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा निर्णय लिया जाता है।

केवल वही राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं जो संप्रभु हैं। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य पूर्ण संप्रभु हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ मूल सदस्य अपनी सदस्यता के समय संप्रभु नहीं थे। वे देश हैं- बेलारूस, भारत, फिलीपींस और यूक्रेन।

वे स्वतंत्र देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं

1. **ताइवान (Taiwan)** - ताइवान ने संयुक्त राष्ट्र छोड़ दिया जब चीन ने इसकी जगह ले ली। ताइवान खुद को असली चीन बताता है।
2. **कोसोवो (Kosovo)** - कोसोवो ने सर्बिया से खुद को आजाद करवाया। इसे स्वतंत्र देश के रूप में कुछ देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
3. **वेटिकन सिटी (Vatican City)** - वेटिकन सिटी मतदान को छोड़कर पूर्ण सदस्यता के सभी अधिकारों के साथ संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यवेक्षक देश है।
4. **फिलिस्तीन (Palestine)** - 2012 में, फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया गया था। इसे अभी तक एक पूर्ण सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं किया गया है।

कुछ संप्रभु देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इन्हें संप्रभु नहीं मानता। ऐसे देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन केवल महासभा में पर्यवेक्षक बन सकते हैं और उन्हें महासभा अधिवेशन में केवल बोलने का अधिकार है, परंतु वोट करने का अधिकार नहीं है।

महासभा के कार्य

1. यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों और एजेंसियों की गतिविधियों पर विचार करती है और उनके लिए बजट को मंजूरी देती है।
2. यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा करती है और इसके बारे में सिफारिशों को तैयार करती है, सिवाय इसके कि जहां एक विवाद या स्थिति पर वर्तमान में सुरक्षा परिषद द्वारा चर्चा की जा रही है।
3. यह सुरक्षा परिषद, अन्य संयुक्त राष्ट्र के अंगों और एजेंसियों की रिपोर्टों पर विचार करती है।
4. यह विश्व के विभिन्न देशों के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है।

सुरक्षा परिषद

सुरक्षा परिषद को मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें पांच स्थाई सदस्य हैं- चीन, फ़्रांस, रुस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और 10 अस्थाई सदस्य हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

अस्थाई सदस्य क्षेत्रीय समूहों से चुने जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- अफ्रीकी समूह: 3 सदस्य
- एशिया-प्रशांत समूह: 2 सदस्य
- रूस सहित पूर्वी यूरोपीय समूह: 1 सदस्य
- लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन समूह: 2 सदस्य
- पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समूह: 2 सदस्य; इनमें से कम से कम एक को पश्चिमी यूरोप से होना आवश्यक है।

परिषद के अस्थाई सदस्यों में से एक अरब देश वैकल्पिक रूप से अफ्रीकी और एशिया प्रशांत समूह से होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक वर्ष पांच नए सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुनती है। यह चुनाव अक्टूबर में शुरू होते हैं और तब तक जारी रहते हैं, जब तक प्रत्येक क्षेत्र के नए सदस्य दो-तिहाई बहुमत हासिल ना कर लें। पुनर्निर्वाचन की अनुमति है, लेकिन सदस्यता लगातार नहीं होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया

सुरक्षा परिषद में प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट आवश्यक होते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। "अन्य सभी मामलों" पर सुरक्षा परिषद के फैसले को स्थायी सदस्यों की सहमति सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट द्वारा पारित किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के रचनाकारों ने यह माना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में पांच स्थायी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है- वीटो का अधिकार (right to veto), और साथ ही उन्हें सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य का दर्जा भी दिया गया है। वीटो अधिकार का अर्थ है कि यदि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से एक स्थाई सदस्य अपने मत का प्रयोग नकारात्मक रूप से करता है, तो निर्णय या प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। 'वीटो अधिकार' स्थायी सदस्य को उपलब्ध होता है जब महासचिव की नियुक्ति या संयुक्त राष्ट्र में नए राष्ट्र के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद महासभा को सिफारिश करती है।

अगर कोई स्थाई सदस्य किसी प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है और ना ही अपने वीटो अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो मत का प्रयोग ना करने का रास्ता भी चुन सकता है और ऐसा करने से वह इस बात की सहमति देता है कि प्रस्ताव के लिए अगर जरूरी 9 मत आ गए, तो प्रस्ताव पारित होगा।

परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) के अनुसार, केवल पांच स्थाई सदस्य ही परमाणु हथियार बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग, सदस्य देशों को केवल सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है।

घोषणा पत्र में 'प्रक्रियात्मक मामलों' और 'अन्य सभी मामलों' पर वोट करने की प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट किया गया है। प्रक्रियात्मक मामले नियमित प्रकृति के मामले हैं। यदि प्रक्रियात्मक मामलों के लिए मतदान हो रहा है और उसमें एक स्थाई सदस्य नकारात्मक मत का प्रयोग करता है, तो निर्णय को रद्द नहीं किया जाएगा। अर्थात, प्रक्रियात्मक मामलों पर स्थाई सदस्यों के पास वीटो अधिकार नहीं है। प्रक्रियात्मक मामले पर लिया गया निर्णय बना रहेगा अगर उस पर 9 सकारात्मक मत मिल गए हैं।

प्रक्रियात्मक मामलों में शामिल हैं:

1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के संबंध में किसी भी प्रश्न को महासभा में प्रस्तुत करना।
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विचाराधीन किसी भी विवाद या स्थिति पर महासभा को सिफारिश करने के लिए अनुरोध करना।
3. महासभा के विशेष सत्र के लिए महासचिव से अनुरोध करना।
4. महासभा की वार्षिक रिपोर्टों का अनुमोदन।
5. संयुक्त राष्ट्र की सीट के अलावा अन्य स्थानों पर बैठकों का आयोजन, या
6. ऐसे सहायक अंगों की स्थापना करना जो परिषद अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक मानती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार के साथ स्थाई सदस्यता भारत किस आधार पर मांग रहा है?

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर भारत सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार के साथ स्थाई सदस्यता की मांग कर रहा है:

1. **जनसंख्या का प्रतिनिधित्व:** वैश्विक आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है।
2. **संयुक्त राष्ट्र में विश्वास:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र में विश्वास दिखाया है और इसके मूल्यों को माना है जैसे उपनिवेश विरोधी, नस्लवाद विरोधी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आदि।

3. **अर्थव्यवस्था का आकार:** भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति समता (पर्चेजिंग पावर पैरिटी-पीपीपी) के आधार पर तीसरे स्थान पर है।
4. **संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान:** संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता रहा है। भारत ने लगभग 180,000 सैनिकों का योगदान दिया है, जोकि किसी भी देश से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के 69 शांति मिशन में से, भारतीय सेना ने 44 से ज्यादा मिशनों में भाग लिया है। 158 भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर मारे गए हैं। वर्तमान में भी भारत सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ताओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 10 शांति मिशन पर लगभग 8000 सैनिक तैनात हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के तहत पहली महिला पुलिस इकाई (First Female Police Unit) भी शामिल है।

भारत की मांग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

जी-4: यह चार देशों का समूह है- भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी। ये देश वीटो शक्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे के दावे का समर्थन करते हैं।

कॉफी क्लब: यह पाकिस्तान और इटली के नेतृत्व में कॉफी निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में वृद्धि के विरुद्ध है, परंतु अस्थाई सदस्यों के विस्तार का समर्थन करता है।

सचिवालय

सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र के विचार-विमर्श और निर्णय लेने वाले निकायों (महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद) के लिए एजेंडा स्थापित करना और इन निकायों के निर्णय के कार्यान्वयन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

एक पूर्व महासचिव ने इसकी भूमिका का निम्नलिखित वर्णन किया है:

"यह नए विचारों को पेश कर सकता है। यह पहल कर सकता है। यह सदस्य सरकारों के समक्ष निष्कर्ष रख सकता है जो उनके कार्यों को प्रभावित करता है।

संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मामलों पर विभाग, जो विदेशी मामलों के मंत्रालय के अनुरूप है, सचिवालय का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र का शांति अभियान संचालन विभाग भी सचिवालय का एक हिस्सा है।

सचिवालय महासभा और सुरक्षा परिषद के लिए आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण का मुख्य स्रोत है। यह संयुक्त राष्ट्र के विचारशील अंगों द्वारा शुरू किए गए कार्यों को संचालित करता है, राजनीतिक मिशन चलाता है, शांति अभियान के संचालन से पहले आकलन तैयार करता है, शांति अभियानों के प्रमुखों को नियुक्त करता है, सर्वेक्षण करता है और अनुसंधान करता है।

यह गैर-देश संगठनों जैसे कि मीडिया और गैर सरकारी संगठनों के साथ संवाद करता है और सभी संधियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।

महासचिव

सचिवालय का नेतृत्व महासचिव (Secretary General) द्वारा किया जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक (diplomat) के रूप में कार्य करता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने 2017 में बान की मून की जगह ली थी।

महासचिव को सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, महासचिव की नियुक्ति के लिए दो चरण की प्रक्रिया है: सुरक्षा परिषद द्वारा सिफारिश और इसके बाद महासभा द्वारा निर्णय लिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने महासचिव का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। संकल्प को अपनाने के दौरान सुरक्षा परिषद अपने द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार के कार्यालय की अवधि को भी निर्दिष्ट करती है। इसी तरह, महासभा महासचिव की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को अपनाते समय अवधि निर्दिष्ट करती है। संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती वर्षों में कुछ समायोजनों को छोड़कर, सचिव के कार्यालय की अवधि को पांच वर्ष तय किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद

आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council, ईसीओएसओसी) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों, कार्यात्मक आयोग, क्षेत्रीय आयोग, संयुक्त राष्ट्र के निधि और कार्यक्रमों में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

ईसीओएसओसी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। यह सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को नीतिगत मामलों पर सिफारिशें भी देती है। संयुक्त राष्ट्र के काम में भाग लेने के लिए कई गैर-सरकारी संगठनों को ईसीओएसओसी में परामर्शदात्री दर्जा दिया गया है। ईसीओएसओसी का अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के मानव और वित्तीय संसाधनों के 70% से अधिक तक विस्तारित है।

ईसीओएसओसी में 54 सदस्य देश हैं, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए दो-तिहाई बहुमत के साथ महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अपने जनादेश को पूरा करने के लिए, ईसीओएसओसी शिक्षाविदों, व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों और 2,500 से अधिक पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों से सलाह लेता है।

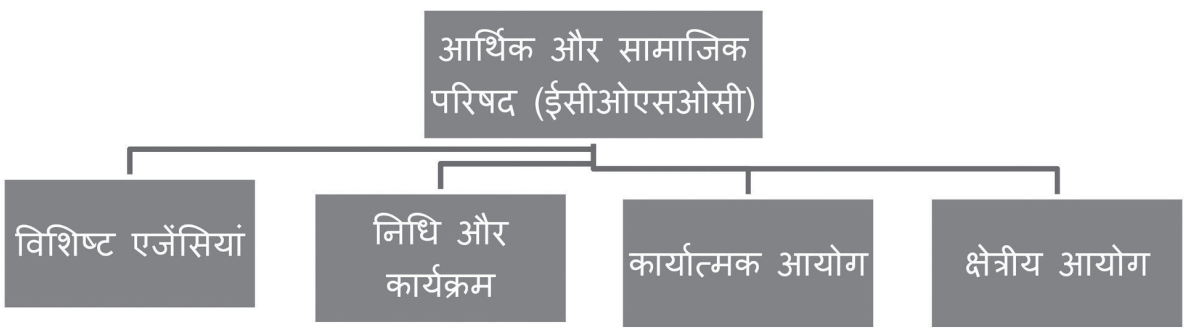

समन्वय के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का बोर्ड

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बोर्ड (Chief Executive Board for coordination, सीईबी) में संयुक्त राष्ट्र की 31 सदस्य संगठनों के अध्यक्ष शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का उच्चतम समन्वय मंच है। सीईबी के पीछे अंतर्निहित आधार यह है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्यरत विभिन्न विशेष निकायों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अध्यक्षता में सीईबी की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। सीईबी ईसीओएसओसी और महासभा को रिपोर्ट करता है।

विशिष्ट एजेंसियां

विशिष्ट एजेंसियां (Specialized agencies) स्वायत्त संगठन हैं जो आर्थिक और सामाजिक परिषद की समन्वयकारी मशीनरी के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ काम करती हैं। विशिष्ट एजेंसियां मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई गई हो भी सकती हैं या नहीं; लेकिन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा उन्हें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शामिल किया गया है। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र की कुल 15 विशेष एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से विभिन्न कार्यों को संचालित करती हैं। विशेष एजेंसियां निम्नलिखित हैं:

खाद्य और कृषि संगठन (Food and agriculture Organization)

यह विकासशील और परिवर्तनशील देशों को कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन प्रथाओं में आधुनिकता और सुधार लाने में मदद करता है जिससे सभी को अच्छा पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization)

संगठन का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना और श्रम की स्थिति में सुधार करना है। यह सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने के लिए श्रम मानकों का निर्धारण करता है जैसे काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी। इनमें से कुछ श्रम मानकों की प्रकृति सिफारिश के रूप में है, जबकि अन्य अनिवार्य हैं। यदि कोई सदस्य राष्ट्र अनिवार्य मानकों का पालन नहीं करता है, तो इसके लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। इसके अलावा, यह श्रम मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और इन मुद्दों पर शोध करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization)

यह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार करने के लिए और जहाजों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए ज़िम्मेदार है। आईएमओ के उद्देश्यों को इसके नारे द्वारा सबसे अच्छे से समझाया जा सकता है:- 'स्वच्छ महासागरों पर सुरक्षित और कुशल शिपिंग'।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

आईएमएफ वैश्विक मुद्रा प्रणाली में तीन प्रमुख भूमिकाएं निभाता है। आईएमएफ आर्थिक विकास का सर्वेक्षण और उस पर नजर रखता है, भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले देशों को धन उधार देता है, और अनुरोध करने वाले देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

विश्व बैंक समूह (World Bank Group)

विश्व बैंक समूह पांच अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक परिवार है, जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति की सुविधा के लिए सदस्य देशों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करते हैं। पांच संगठन निम्नलिखित हैं:

a. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
b. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
c. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
d. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी
e. अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केन्द्र

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) स्वास्थ्य के निर्देशन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट (WHR) को कई भाषाओं में प्रतिवर्ष या द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित करता है। प्रत्येक रिपोर्ट में संगठन के सदस्य देशों से संबंधित एक विशिष्ट वैश्विक स्वास्थ्य विषय का विशेषज्ञ मूल्यांकन शामिल होता है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थानों को जानकारी प्रदान करना है, जिनके द्वारा उन्हें उचित स्वास्थ्य नीति और वित्तपोषण के निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization)

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआईपीओ) बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसमें शामिल हैं:

- बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए आवश्यक नीतियों, प्रशासन और कौशल विकसित करने के लिए सरकारों और संगठनों की सहायता करना।
- बौद्धिक संपदा संबंधित संधियों का प्रशासन।
- बौद्धिक संपदा के लिए वैश्विक पंजीकरण प्रणाली चलाना।
- विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करना, तथा
- बहस और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union)

आईटीयू उपग्रह कक्ष आवंटित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, विकासशील देशों में दूरसंचार की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है और विश्वव्यापी तकनीकी मानकों के विकास और समन्वय में सहायता करता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रों और समाजों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और जनता को संगठित करता है ताकि प्रत्येक बच्चा और नागरिक:

- श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर सके,
- विविधता और वार्ता में समृद्ध एक सांस्कृतिक वातावरण में रह सके और बढ़ सके ,
- वैज्ञानिक प्रगति से पूरी तरह से लाभ उठा सके ,
- और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले सके।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (International Civil Aviation Organization)

आईसीएओ 191 सदस्यीय देशों और उद्योग समूहों के साथ काम करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों और सिफारिशों पर तथा एक सुरक्षित, कुशल, आर्थिक रूप से टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार नागरिक उड्डयन क्षेत्र के समर्थन में नीतियों पर सहमति हो सके।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development)

1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक के रूप में आईएफएडी को 1977 में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। यह विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए समर्पित है। विश्व के 75 प्रतिशत गरीब विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization)

यूएनआईडीओ का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों में और परिवर्तनकाल से गुजर रहे देशों में (एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना) औद्योगिक विकास का संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक सहयोग का प्रचार करना है।

वैश्विक डाक संघ (Universal Postal Union)

यूपीयू डाक क्षेत्र की एजेंसियों के बीच सहयोग के लिए प्राथमिक मंच है और जहां ज़रूरत है वहां तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय डाक आदान-प्रदान के लिए नियम निर्धारित करता है और डाक, पार्सल में वृद्धि को प्रोत्साहित करने और ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सिफारिशें करता है।

विश्व मौसम संगठन (World Meteorological Organization)

डब्ल्यूएमओ उपग्रह मौसम विज्ञान सहित, मौसम विज्ञान के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए और इसके साथ ही इसके अनुप्रयोगों से प्राप्त लाभों की प्राप्ति के लिए वैश्विक पैमाने पर ढांचा प्रदान करता है।

विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organization)

यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यह पर्यटन को आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के चालक के रूप में बढ़ावा देता है और विश्व भर में ज्ञान और पर्यटन नीतियों को आगे बढ़ाने में नेतृत्व और समर्थन प्रदान करता है।

संबंधित संगठन

कुछ संगठनों को संयुक्त राष्ट्र के साथ एक अलग व्यवस्था (विशेष एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र के बीच समझौते से अलग) द्वारा परिभाषित किया गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी वे ऐसे कार्य निष्पादित करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। ये संगठन निम्नलिखित हैं:

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन प्रीपरेटरी आयोग (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Preparatory Commission)

व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि संगठन के लिए प्रीपरेटरी आयोग, (सीटीबीटीओ प्रीपरेटरी आयोग), उन देशों द्वारा स्थापित किया गया था जिन्होंने 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके दो प्रमुख उद्देश्य है: सीटीबीटी को लागू करने को बढ़ावा देने के लिए, जो सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है और सभी परमाणु परीक्षणों का पता लगाने के लिए एक वैश्विक सत्यापन व्यवस्था स्थापित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (International Atomic Energy Agency)

आईएईए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियार समेत किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु सामग्री के उपयोग को रोकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी और उपकरण नागरिक उद्देश्यों के लिए व्यापार किए जाते हैं, न कि सैन्य उद्देश्यों के लिए, यह परमाणु व्यापार की देखरेख करता है।

प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन (International Organization for Migration)

आईओएम का उद्देश्य है कि प्रवास मानवीय और व्यवस्थित होना चाहिए तथा यह प्रवासियों और समाज के लाभ के लिए होना चाहिए। प्रवासन के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में, आईओएम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने सहयोगियों के साथ प्रवासन प्रबंधन के लिए कार्य करता है।

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)

ओपीसीडब्लू रासायनिक हथियार कन्वेंशन के पालन का सत्यापन करता है जो रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है और उनके विनाश को आवश्यक समझता है। सत्यापन में सदस्य देशों द्वारा घोषणाओं का मूल्यांकन और साइट पर निरीक्षण दोनों शामिल हैं।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization)

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का उद्देश्य आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व के देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। यह वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं में व्यापार से भी संबंधित है। यह सदस्य देशों को विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाने और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए भी कहता है।

संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां और संबंधित संगठन

	आधिकारिक नाम	मुख्यालय	स्थापित
	संयुक्त राष्ट्र	न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	1945
संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां			
1	खाद्य और कृषि संगठन	रोम, इटली	1945
2	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	जिनेवा, स्विट्जरलैंड	1919
3	अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	1959
4	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	1945
5	विश्व बैंक समूह	वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	1945
6	विश्व स्वास्थ्य संगठन	जिनेवा, स्विट्जरलैंड	1948
7	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	जिनेवा, स्विट्जरलैंड	1967
8	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ	जिनेवा, स्विट्जरलैंड	1865

9	संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन	पेरिस, फ्रांस	1946
10	अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन	मॉन्ट्रियल, कनाडा	1947
11	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष	रोम, इटली	1977
12	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	वियना, ऑस्ट्रिया	1985
13	वैश्विक डाक संघ	बर्न, स्विट्जरलैंड	1874
14	विश्व मौसम संगठन	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड	1950
15	विश्व पर्यटन संगठन	मैड्रिड, स्पेन	1974
	संबंधित संगठन		
1	व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन प्रीपरेटरी आयोग	वियना, ऑस्ट्रिया	1996
2	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण	वियना, ऑस्ट्रिया	1957
3	प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड	1951
4	रासायनिक हथियार निषेध संगठन	हेग, नीदरलैंड्स	1997
5	विश्व व्यापार संगठन	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड	1995

फंड और कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय विचार नहीं की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फंड और कार्यक्रम (Funds and Programmes) की स्थापना की गई है। इन आवश्यकताओं में फिलिस्तीन शरणार्थी, विकास सहायता, खाद्य सहायता, पर्यावरण आदि शामिल हैं।

ये संयुक्त राष्ट्र के अधीनस्थ हैं। लेकिन चूंकि उन्हें तत्काल अंतर सरकारी निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के बजट के अलावा अन्य स्रोतों से उनके अधिकांश वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं, ये 'सहायक अंगों' की तुलना में विशिष्ट एजेंसियों के समान हैं।

इसके अलावा, क्योंकि इनकी गतिविधियां क्षेत्रीय स्तर पर अधिक परिचालित और संचालित होती हैं, इन्हें मुख्यालय-केंद्रित प्रशासन से काफी अलग तरीके से प्रशासित करने की आवश्यकता होती है। प्रशासन और कर्मियों के क्षेत्र में फंड और कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के नियमों और विनियमों को लागू करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (International Trade Centre)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और विश्व व्यापार संगठन की संयुक्त तकनीकी सहयोग एजेंसी है।

आईटीसी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- **निर्यातकों को मजबूत करना:** विकासशील देशों और बदलती अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना।

- **व्यापार समर्थक संस्थानों का विकास करना:** निर्यातकों को समर्थन देने के लिए व्यापार सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विकास करना।
- **नीति निर्माताओं का समर्थन करना:** निजी क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए नीति निर्माताओं का समर्थन करना।

आईटीसी का नियमित कार्यक्रम विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बराबर भागों में वित्तपोषित है। आईटीसी लाभार्थी देशों की मांग पर दाता सरकारों और नागरिक समाज संस्थानों से स्वैच्छिक योगदान के साथ परियोजनाओं को भी लागू करता है।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)

यूएनएचसीआर का मुख्य कार्य शरणार्थियों और जरूरतमंद व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें देशविहीन लोगों को शामिल किया गया है और उनके लिए टिकाऊ समाधान ढूंढना है। यूएनएचसीआर का कार्य यह भी सुनिश्चित करना है कि देश शरणार्थियों के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करते हैं।

इसके जनादेश में विशेष रूप से शरणार्थियों को शामिल किया गया है। यूएनएचसीआर संघर्ष-उत्पन्न आपात स्थिति में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (internally displaced persons, आईडीपी) की भी रक्षा और सहायता करता है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN women)

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में महिलाओं की लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित समन्वय कार्य को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन स्थापित किया गया था।

यह संयुक्त राष्ट्र की चार लिंग संस्थाओं को समेकित करता है: संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, महिला संवर्धन प्रभाग, लिंगाधारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय और महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान। इसकी लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर संयुक्त कार्य प्रणाली की जवाबदेही को अग्रणी, समन्वयित और बढ़ावा देने की एक प्रमुख अतिरिक्त भूमिका है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UN International Children's Emergency Fund)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धग्रस्त देशों में बच्चों को आपात सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिसेफ (UNICEF) की स्थापना की गई। उसके बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विकासशील देशों में बच्चों की जरूरतों को संबोधित करने का कार्य सौंपा गया। इसकी भूमिका हर जगह बच्चों को, विशेष रूप से विकासशील देशों में, दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाले कार्यक्रमों तक बढ़ा दी गई थी और संगठन के नाम को संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (United Nations Children's Fund) में बदल दिया गया लेकिन संक्षिप्त नाम 'यूनिसेफ' को बरकरार रखा गया। कोष ने आपातकाल के समय राहत और पुनर्वास सहायता भी जारी रखी।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development)

यूएनसीटीएडी विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के एकीकरण को बढ़ावा देता है। संगठन सर्वसम्मति निर्माण के उद्देश्य से अंतर-सरकारी विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है; सरकारी प्रतिनिधियों को सूचित करने के लिए अनुसंधान, नीति विश्लेषण और आँकड़ा संग्रह करता है; तथा विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिनमें कम विकसित देश और बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme)

संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी यूएनडीपी है। इसका उद्देश्य समावेशी और टिकाऊ समाजों का निर्माण करना है। यह विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कम विकसित देशों (Least Developed Countries, एलडीसी) और संघर्ष से उभर रहे देशों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएनसीटीएडी दो प्रणालियों को प्रभाव में लाया है

1. **प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized system of preferences, जीएसपी):** जीएसपी के तहत, विकसित देश विकासशील देशों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक रियायतें दे सकते हैं।
2. **व्यापार प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized system of trade preferences, जीएसटीपी):** जीएसटीपी के तहत, विकासशील देश अन्य विकासशील देशों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक रियायतें दे सकते हैं।

हालांकि डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है, जीएसटी और जीएसटीपी को डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत अनुमति है।

यूएनडीपी विकासशील देशों के साथ काम करने पर ध्यान देता है ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य किया जा सके:

- लोकतांत्रिक शासन
- गरीबी में कमी
- संकट की रोकथाम और निगरानी
- पर्यावरण और ऊर्जा
- एचआईवी/एड्स

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme)

मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद यूएनईपी की स्थापना की गई थी। इसका लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा के लिए नेतृत्व करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना है।

1997 में, नैरोबी घोषणा को अपनाया गया था। नौरोबी घोषणा के अनुसार यूएनईपी के लिए निम्नलिखित मूल लक्ष्य निर्धारित किए गए:-

- वैश्विक पर्यावरण की स्थिति का विश्लेषण और वैश्विक और क्षेत्रीय पर्यावरण के रुझान का आकलन करना, पर्यावरणीय खतरों पर नीति, सलाह और पूर्व चेतावनी सूचना प्रदान करना तथा उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्रवाई को बढ़ावा देना।
- इसके अलावा सतत विकास के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का विकास करना।
- उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों पर सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पर्यावरणीय गतिविधियों के समन्वय में अपनी भूमिका को मजबूत करना।
- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय एजेंडे को लागू करने में प्रभावी सहयोग की सुविधा के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाना और सुविधा प्रदान करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय और नीति निर्माताओं के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करना।
- सरकारों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों को पर्यावरणीय संस्था निर्माण के प्रमुख क्षेत्रों में नीति और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना।

मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन)

मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है) 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र के तहत आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला बड़ा सम्मेलन था। इसने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चिह्नित किया।

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास कार्यक्रम (United Nations Human Settlements Programme)

यूएन-हैबिटैट (UN-Habitat) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत मानव बस्ती गतिविधियों को समन्वयित करने और आश्रय एवं सतत शहरी विकास पर जानकारी के वैश्विक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह नीतियों और तकनीकी सलाह के साथ देशों की मानव बस्ती की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है।

एशिया प्रशांत आवास और शहरी विकास पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एपीएमसीएचयूडी)

एपीएमसीएचयूडी (Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development) एशिया प्रशांत देशों के बीच टिकाऊ आवास और शहरी विकास को बढ़ावा देने पर एक सलाहकार तंत्र है। यह यूएन-हैबिटैट के समर्थन के तहत स्थापित किया गया था। पहले सम्मेलन (अर्थात, 2006 नई दिल्ली, एपीएमसीएचयूडी सम्मेलन) का विषय '2020 तक एशिया-प्रशांत में स्थायी शहरीकरण के लिए एक दृष्टिकोण' था। दूसरा सम्मेलन तेहरान, ईरान में आयोजित किया गया था।

एशिया प्रशांत आवास और शहरी विकास पर छठा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में 2016 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय 'उभरते शहरी रूप- नए शहरी एजेंडा के संदर्भ में नीति प्रतिक्रियाएं और प्रशासन संरचना' था।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme)

डब्ल्यूएफपी की स्थापना महासभा और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की खाद्य सहायता संस्था के रूप में की। डब्ल्यूएफपी विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है जो विश्व भर में भुखमरी को खत्म करने का प्रयास कर रही है।

यह कार्यक्रम 500,000 टन अनाज के न्यूनतम लक्ष्य के साथ महासभा द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन खाद्य रिजर्व (International Emergency Food Reserve, आईईएफआर) भी प्रशासित करता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (United Nations Population Fund)

यूएनपीएफ (UNPF) एक संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंसी है जो प्रत्येक महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकारों को बढ़ावा देती है ताकि वह स्वास्थ्य और समान अवसरों का आनंद ले सकें। UNPF नीतियों और कार्यक्रमों के लिए आबादी डेटा का उपयोग करने में देशों का समर्थन करता है।

यूएनपीएफ प्रजनन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाता है, जिसमें महिलाओं और युवाओं की कमजोरियों और विशेष जरूरतों पर बल दिया जाता है। प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य आकलन तथा स्वास्थ्य नीति के लिए यूएनपीएफ जनगणना समेत विभिन्न आंकड़े संग्रह गतिविधियों का समर्थन करता है।

संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (United Nations Office for Project Services)

यूएनओपीएस संयुक्त राष्ट्र की एक परिचालन शाखा है, जो विश्व भर में अपने सहयोगियों की शांति-निर्माण, मानवीय और विकास परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime)

अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और इसके तीन पूरक प्रोटोकॉल का सचिवालय यूएनओडीसी है। इन तीन पूरक प्रोटोकॉल में शामिल हैं: व्यक्तियों की तस्करी, विशेष रूप से महिला और बच्चे; प्रवासियों की तस्करी; और आग्नेयास्त्रों में अवैध विनिर्माण और तस्करी। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का सचिवालय भी है। यूएनओडीसी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के माध्यम से इन सभी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के अनुमोदन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है।

फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees)

फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए राहत कार्यक्रमों को चलाने के लिए, वर्ष 1948 के अरब-इजरायल संघर्ष के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना की गई थी। फिलिस्तीन शरणार्थी स्थिति के समाधान के अभाव में महासभा ने बार-बार यूएनआरडब्ल्यूए के जनादेश का नवीनीकरण किया है।

कार्यात्मक आयोग

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) एजेंडे को पूरा करने के लिए कई कार्यात्मक आयोग (functional commissions) स्थापित किए गए हैं। ये निकाय विचारशील निकाय हैं जिनकी भूमिका अपने क्षेत्रों में मुद्दों पर विचार-विमर्श और अनुशंसा करना है। कार्यात्मक आयोगों को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को वार्षिक रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इन रिपोर्टों में कार्यात्मक आयोगों द्वारा प्रस्तावों और सिफारिशों को शामिल किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council)

यूएनएचआरसी विश्व भर के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसकी 47 सीटें तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य देशों द्वारा भरी जाती हैं।

यूएनएचसीआर मानव अधिकार आयोग (UN Commission on Human Rights) का उत्तराधिकारी है। यूएनएचसीआर मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय (Office of the High Commissioner for Human Rights, ओएचसीएचआर) के साथ मिलकर काम करती है।

महासभा ने मानव अधिकार आयोग को 2006 में एक प्रस्ताव द्वारा यूएनएचआरसी से प्रतिस्थापित किया। मानव अधिकार आयोग मानवाधिकारों की सुरक्षा में अप्रभावी था।

यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मानव अधिकारों से संबंधित स्थितियों को संबोधित करता है। यूएनएचआरसी महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों को भी संबोधित करता है जैसे कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, एलजीबीटी अधिकार और नस्लीय तथा जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकार।

मार्च, जून और सितंबर में यूएनएचआरसी सालाना तीन बार नियमित सत्र आयोजित करता है। यूएनएचआरसी किसी भी समय सदस्य देशों के एक-तिहाई के अनुरोध पर मानव अधिकारों के उल्लंघन और आपात स्थिति को संबोधित करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय ले सकता है।

संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर)

महासभा ने सभी लोगों द्वारा नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के प्रभावी आनंद को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के पद की स्थापना की।

उच्चायुक्त को वैश्विक मानवाधिकार प्रयासों के लिए मुख्य जिम्मेदारी के साथ संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के रूप में कार्य करना होता है। उच्चायुक्त महासचिव के निर्देश और प्राधिकरण के तहत कार्य करता है। ओएचसीएचआर मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

उच्चायुक्त को महासचिव द्वारा नियुक्त किया जाता है और महासभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नियुक्ति चार वर्षों की एक निश्चित अवधि के लिए होती है। इसके अलावा चार वर्ष की एक और निश्चित अवधि के लिए एक नवीनीकरण की अनुमति है।

सतत विकास पर आयोग (Commission on Sustainable Development)

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन/पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणामों की निगरानी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास आयोग (सीएसडी) का गठन किया गया। इसे 2013 में सतत विकास पर उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच (High-level Political Forum on Sustainable Development) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो प्रत्येक चार वर्ष के बाद महासभा और शेष तीन वर्षों के दौरान ईसीओएसओसी के तहत मिलता है।

सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals)

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) (जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है) भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित लक्ष्यों का एक समूह है। एसडीजी ने 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्यों (Millennium Development Goals, एमडीजी) की समाप्ति के बाद, इन्हें प्रतिस्थापित किया। जून 2012 (रियो + 20) में रियो डी जिनेरो में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एसडीजी पर पहली बार औपचारिक रूप से चर्चा की गई। एमडीजी के लक्ष्य जो 8 श्रेणियों में विभाजित थे, एसडीजी को 17 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

एसडीजी का लक्ष्य वर्ष 2030 है। लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं- अक्सर एक लक्ष्य पर सफलता की कुंजी में दूसरे लक्ष्य से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाता है। एसडीजी सभी देशों के लिए अपनी प्राथमिकताओं और विश्व की पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुसार स्पष्ट दिशानिर्देश और लक्ष्य प्रदान करते हैं।

सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

लक्ष्य 1: गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति

लक्ष्य 2: भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।

लक्ष्य 3: सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।

लक्ष्य 4: समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर देना।

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।

लक्ष्य 6: सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7: सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 8: सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर रोजगार को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 9: गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना ।

लक्ष्य 10: देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।

लक्ष्य 11: सुरक्षित, टिकाऊ शहरी और मानव बस्तियों का निर्माण।

लक्ष्य 12: सतत खपत और उत्पादन प्रतिरूप को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।

लक्ष्य 14: महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग।

लक्ष्य 15: वनों समेत स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सतत प्रबंधन; भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।

लक्ष्य 16: सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी स्तरों पर जवाबदेही और समावेशी निकाय बनना, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 17: सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को मजबूत बनाना।

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN Commission on the Status of Women)

यूएन सीएसडब्ल्यू को संयुक्त राष्ट्र के ऐसे अंग के रूप में वर्णित किया गया है जो लैंगिक समानता को और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है। प्रत्येक वर्ष, सदस्य देशों के प्रतिनिधि लैंगिक समानता पर प्रगति का मूल्यांकन करने, चुनौतियों की पहचान करने, वैश्विक मानकों को स्थापित करने और विश्व भर में महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियों को तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्रित होते हैं।

इसकी गतिविधियों में सीएसडब्ल्यू ने कई कन्वेंशनों और घोषणाओं को तैयार किया है, जिसमें 1967 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा शामिल है। इसके अलावा इसने महिलाओं के लिए एजेंसियों का गठन किया है जैसे कि महिलाओं के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (International Research and Training Institute for the Advancement of Women) और महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (United Nations Development Fund for Women), जिनका संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य तत्वों के साथ जनवरी 2011 में एक नए संगठन, यूएन वूमेन में विलय कर दिया गया।

महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि, जिसे सामान्यतः यूनीफेम कहा जाता है, 1976 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में स्थापित किया गया था। यह महिलाओं के अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले अभिनव कार्यक्रमों और रणनीतियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

जनवरी 2011 में, यूनिफेम को महिलाओं के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (International Research and Training Institute for the Advancement of Women), लिंग मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय (Office of the Special Adviser on Gender Issues) और महिला प्रवर्धन विभाग (Division for the Advancement of Women) के साथ विलय किया गया। सामूहिक निकाय को यूएन वूमेन कहा जाता था।

बीजिंग घोषणा और कार्यवाई मंच (1995)

बीजिंग में आयोजित चौथे 'महिलाओं के लिए विश्व सम्मेलन' के दौरान, प्रतिनिधियों ने एक कार्य योजना घोषणा पत्र तैयार किया जिसका लक्ष्य महिलाओं के लिए समानता और अवसर प्राप्त करना था। इसे बीजिंग कार्य योजना घोषणा पत्र के रूप में जाना जाने लगा।

मिशन: कार्य योजना घोषणा पत्र महिला सशक्तिकरण का एक एजेंडा है और इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में सभी बाधाओं को दूर करना है। यह परिवार नियोजन के संबंध में प्रजनन अधिकारों पर विशेष जोर देता है।

विश्व महिला सम्मेलन क्या है?

विश्व महिला सम्मेलन लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सीएसडब्ल्यू द्वारा आयोजित एक सम्मेलन श्रृंखला है। अब तक, ऐसे चार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 1975 में मैक्सिको सिटी, 1980 में कोपेनहेगन, 1985 में नैरोबी और 1995 में बीजिंग में आयोजन हुआ था।

वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (United Nations Forum on Forests)

वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (यूएनएफएफ) की स्थापना 2000 में सभी प्रकार के जंगलों के प्रबंधन, संरक्षण और विकास के उद्देश्य से की गई थी।

फोरम में सर्वव्यापी सदस्यता है और यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और इसकी विशेष एजेंसियों से बना है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- वन-संबंधित समझौतों के कार्यान्वयन की सुविधा और सतत वन प्रबंधन पर एक सामान्य समझ को बढ़ावा देना।
- सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के बीच निरंतर नीति विकास और वार्तालाप प्रदान करना।
- वन-संबंधित मुद्दों पर सहयोग के साथ-साथ नीति और कार्यक्रम समन्वय को बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना।

अन्य कार्यात्मक आयोग

- सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN Commission for Social Development)
- मादक औषधि पर आयोग (Commission on Narcotic Drugs)
- अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर आयोग (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice)
- विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग (Commission on Science and Technology for Development)
- जनसंख्या और विकास पर आयोग (Commission on Population and Development)
- यूएन सांख्यिकी आयोग (UN Statistical Commission)

क्षेत्रीय आयोग

क्षेत्रीय आयोग (Regional Commissions) संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संस्थागत परिदृश्य का एक अभिन्न भाग हैं। विश्व के पांच क्षेत्रों में स्थित, क्षेत्रीय आयोग क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के क्षेत्रीय कार्यान्वयन के लिए स्थापित किए गए हैं। पांच क्षेत्रीय आयोग निम्नलिखित हैं:

- यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग,
- अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग,
- लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग,
- एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग,
- पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice, आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक शाखा है। इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। यह अमन महल (peace palace), हेग, नीदरलैंड में स्थित है।

यह देशों के बीच कानूनी विवाद सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों को सलाह देता है। आईसीजे में केवल एक देश दूसरे देश पर मुकदमा कर सकता है। न तो देश व्यक्तिगत/संगठन पर मुकदमा कर सकता है और न ही व्यक्ति/संगठन देश पर मुकदमा कर सकता है।

संरचना

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष की अवधि के लिए इन 15 न्यायाधीशों को चुना जाता है। महासभा और सुरक्षा परिषद एक साथ मतदान करते हैं लेकिन अलग बैठकों में। निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। जल्दी पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण कभी कभी मतदान में कई दौर शामिल होते हैं।

अदालत के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पांच न्यायाधीश चुने जाते हैं। यदि एक न्यायाधीश की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो आम तौर पर यह कार्यकाल पूरा करने

के लिए एक विशेष चुनाव में न्यायाधीश का चयन करना होता है। प्रत्येक निर्वाचित न्यायाधीश एक अलग राष्ट्र से होना चाहिए। आईसीजे के सभी न्यायाधीशों को उच्च नैतिक चरित्र के व्यक्तियों के बीच से निर्वाचित किया जाना चाहिए, जो या तो अपने गृह देशों में उच्चतम न्यायिक कार्यालय के लिए योग्य हैं या अंतरराष्ट्रीय कानून में पर्याप्त क्षमता वाले वकीलों के रूप में जाने जाते हैं।

एक अनौपचारिक नियम है कि सीट भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर वितरित की जाएंगी जिसमें पश्चिमी देशों के लिए पांच सीट, अफ्रीकी देशों के लिए तीन, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए दो, एशियाई देशों के लिए तीन और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के लिए दो सीटें उपलब्ध हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (फ्रांस, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) के पास हमेशा न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है। इस प्रकार पश्चिमी सीटों में से तीन, एशियाई सीटों में से एक और पूर्वी यूरोपीय सीटों में से एक पर कब्जा कर लिया जाता है।

आईसीजे की आलोचना

1. आईसीजे का 'अनिवार्य' क्षेत्राधिकार उन मामलों तक सीमित है, जहां दोनों दलों ने निर्णय पर सहमति व्यक्त की है। अंतरराष्ट्रीय कानून में देश संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार, कोई कानून नहीं है जो देशों को मजबूर कर सकता है या देशों को दंडित कर सकता है, यदि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है।
   इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता आईसीजे को सदस्य देशों पर अधिकार क्षेत्र नहीं देती है। यह देश पर निर्भर करता है कि वह आईसीजे निर्णय का पालन करना चाहता है या नहीं।
2. संगठनों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच नहीं है। इसका यह भी अर्थ है कि मानवता के खिलाफ अपराधों के संभावित शिकार, जैसे छोटे नस्लीय समूहों या स्वदेशी लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जा सकते। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां भी सलाहकार राय को छोड़कर, मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं ला सकती हैं।
3. अन्य अंतर्राष्ट्रीय अदालत जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के छत्रक के अंतर्गत नहीं हैं। कई अंतरराष्ट्रीय अदालतें कभी-कभी अदालतों के लिए प्रभावी और सामूहिक अधिकार क्षेत्र में संलग्न होना कठिन बना देती हैं।
4. सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य मामलों के प्रवर्तन को रोकने में सक्षम हैं, यहां तक कि जिनके लिए पहले उन्होंने बाध्य होने के लिए सहमति दी है।
   उदाहरण के लिए, अदालत ने निकारागुआ बनाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फैसला सुनाया कि निकारागुआ के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गुप्त युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1986 में न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को त्याग दिया तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल मामला दर मामला के आधार पर स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XIV, न्यायालय के फैसलों को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिकृत करता है। हालांकि, ऐसे प्रवर्तन परिषद के पांच स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति के अधीन हैं, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने निकारागुआ मामले में इस्तेमाल किया था।

निष्कर्ष

यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि हालांकि लगभग सभी राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन केवल एक तिहाई इसके अधिकार क्षेत्र के पूरी तरह से अधीन हैं। इसी कारण से राज्यों ने

कई अवसरों पर अदालत से संपर्क नहीं किया है और इसलिए, प्रत्येक वर्ष लगभग 10 मामले दायर किए जाते हैं और अब तक लगभग 100 निर्णय आईसीजे द्वारा वितरित किए गए हैं।

इस प्रकार, आईसीजे दुश्मन देशों के बीच प्रमुख विवादों को हल करने में सक्षम नहीं है। हालांकि कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मित्र देश इसके निर्णय का पालन कर लेते हैं।

दो अन्य अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निकाय हैं, अर्थात अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) और विवाचन का स्थायी न्यायालय (पीसीए)।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुन: निर्वाचित

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी

न्यायमूर्ति भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में न्यायाधीश हैं। इससे पहले, वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। जनवरी 2012 में आईसीजे में अपने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में उन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया गया था। उस समय रिक्त वतर्मान न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद पैदा हुई थी। ब्रिटेन के नामांकित उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद नवंबर 2017 में उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है।

2017 के चुनावों के बारे में

पांच सीटों के लिए छह उम्मीदवार थे। जब चार उम्मीदवार सीधे चुने गए थे, पांचवीं सीट के लिए चुनाव कुछ समय के लिए अनिश्चित रहा। न्यायमूर्ति भंडारी और यूनाइटेड किंगडम के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड पांचवी सीट के लिए कठिन प्रतिस्पर्धी थे क्योंकि न्यायमूर्ति भंडारी ने यूएनजीए में मतदान जीता था और क्रिस्टोफर ग्रीनवुड ने यूएनएससी में मतदान जीता था।

ब्रिटेन मतदान समाप्त करना और इसे सम्मेलन तंत्र में स्थानांतरित करना चाहता था। सम्मेलन तंत्र में तीन यूएनजीए सदस्यों और तीन यूएनएससी सदस्यों के एक पैनल का चयन करना शामिल है, जो न्यायाधीश का चुनाव करते हैं। हालांकि, इस तंत्र का पहले कभी उपयोग नहीं किया गया।

भारत ने इस कदम का विरोध किया। ब्रिटेन यूएनएससी में अपनी मांग के लिए पर्याप्त समर्थन इकट्ठा करने में असफल रहा। ब्रिटेन ने फिर अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया और न्यायमूर्ति भंडारी के पुनर्निर्वाचन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।

परिणामों का मूल्यांकन: ब्रिटेन का परिप्रेक्ष्य

पहली बार, आईसीजे में ब्रिटेन का कोई न्यायाधीश नहीं है। यह भी पहली बार है कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य आईसीजे चुनाव हार गया। इस संदर्भ में, आईसीजे चुनावों में हार वैश्विक मामलों में ब्रिटेन की कमजोर भूमिका को दर्शाती है।

परिणामों का मूल्यांकन: भारत का परिप्रेक्ष्य

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी का दूसरी अवधि के लिए निर्वाचन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है।

भारत की सफलता मुख्य रूप से विकासशील देशों के समर्थन के कारण हुई है। छोटे और कम महत्वपूर्ण राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने की भारत की विदेश नीति ने यूएनजीए में भारत की प्रतिष्ठा में इजाफा किया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

आईसीसी (International Criminal Court) एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, जिसमें नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। आईसीसी हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है।

आईसीसी का उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों के पूरक के रूप में कार्य करना है और इस प्रकार यह केवल तब अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, जब राष्ट्रीय न्यायालय अपराधियों पर मुकदमा चलाने में असमर्थ हैं या जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या कोई देश अदालत में स्थितियों का संदर्भ देता है। आईसीसी ने 1 जुलाई 2002 को काम करना शुरू किया, जिस तारीख को रोम लागू हुई थी।

रोम एक बहुपक्षीय संधि है जो आईसीसी के मूलभूत और शासी दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। रोम संविधि की पार्टी बनने वाले देश आईसीसी के सदस्य देश बनते हैं। अक्टूबर 2017 तक, 123 देश हैं जो रोम संविधि की पार्टी हैं।

भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और इस प्रकार, आईसीसी के दायरे से बाहर रहना पसंद किया। भारत द्वारा रोम संविधि पर हस्ताक्षर न करने के लिए निम्नलिखित कारण दिए गए हैं:

- भारत का तर्क है कि संविधि न्यायालय के दायरे में कई अपराध लाती है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं और इस प्रकार यह संविधि देश की संप्रभुता को प्रभावित करती है।
- संविधि में मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में आतंकवाद शामिल नहीं है।
- संविधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को मामलों के विचार को संदर्भित करने या अवरुद्ध करने के लिए विशेष और भेदभावपूर्ण शक्तियां देती है।

आईसीसी और आईसीजे में अंतर

1. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को आजमाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि, आईसीसी व्यक्तिगत लोगों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराधों के लिए दोषी करार कर सकता है।
2. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वचालित रूप से आईसीजे के सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रों को व्यक्तिगत रूप से रोम संविधि की पुष्टि करके आईसीसी का सदस्य बनना पड़ता है।
3. आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, जबकि आईसीसी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत नहीं है।

विवाचन का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration)

पीसीए पारंपरिक अर्थों में एक अदालत नहीं है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न होने वाले सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पार्टियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता अदालत की सेवाएं प्रदान करता है। पीसीए में स्थायी न्यायाधीश नहीं हैं। पीसीए एक स्थायी नौकरशाही है जो अस्थायी न्यायाधिकरणों को विवादों को सुलझाने में सहायता करता है। पीसीए की स्थापना 1899 में प्रथम हेग शांति सम्मेलन, नीदरलैंड में संधि द्वारा की गई थी।

प्रशांत विवाद निपटान कन्वेंशन 1899 और 1907 की पार्टियां क्रमश: 71 सदस्य देश और 101 सदस्य देश स्वतः पीसीए के सदस्य हैं। जैसा कि 51 देश दोनों कन्वेंशन के सदस्य हैं, पीसीए में 121 सदस्य देश हैं: संयुक्त राष्ट्र के 119 सदस्य, साथ ही कोसोवो और फिलिस्तीन। भारत 1899 में हैग कन्वेंशन के अनुसार पीसीए का सदस्य देश है।

पीसीए क्षेत्रीय और समुद्री सीमाओं, संप्रभुता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार से जुड़े विभिन्न मामलों पर फैसला सुनाती है। इसका फैसला देशों पर बाध्यकारी है क्योंकि फैसले पर अपील प्रक्रिया नहीं है।

1907 से 1913 तक, हेग में पीस पैलेस पीसीए के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, हेग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पीस पैलेस लाइब्रेरी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक ही इमारत साझा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का समीक्षात्मक मूल्यांकन

1. यह आरोप लगाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य, जो परमाणु शक्ति रखते हैं, ने एक विशेष परमाणु क्लब बनाया है जो स्थायी सदस्यों के रणनीतिक हितों और राजनीतिक उद्देश्यों को संबोधित करता है।
2. आलोचकों ने संयुक्त राष्ट्र को अलोकतांत्रिक कहा है, जो केवल राष्ट्रों की सरकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है जो इसे बनाते हैं और जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति , संगठन और समूह इसके भीतर हैं यह उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे।
3. संयुक्त राष्ट्र धन की कमी के कारण सफलतापूर्वक अपने आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। यह भी आरोप है कि अधिकारियों के उच्च वेतन के कारण संयुक्त राष्ट्र के निकायों के खर्च उच्च हैं।
4. सकारात्मक पक्ष के रूप में यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों के समन्वय और विभिन्न क्षेत्रों में मानकों को स्थापित करने में सफल रहा है।

अभ्यास प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, सुरक्षा परिषद में 'वीटो' शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
   (a) सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी निर्णय को स्वीकार करने से इसे वीटो द्वारा रोक सकता है।
   (b) सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य गैर-प्रक्रियात्मक मामलों पर किसी भी निर्णय को स्वीकार करने से इसे वीटो द्वारा रोक सकता है।
   (c) सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य वीटो शक्ति का आनंद लेते हैं लेकिन केवल उनके राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों में।
   (d) सुरक्षा परिषद के किसी भी गैर-स्थायी सदस्य द्वारा इसके खिलाफ मतदान करके कोई भी प्रस्ताव पारित होने से रोका जा सकता है।
2. संयुक्त राष्ट्र के संबंध में 'वीटो शक्ति' के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
   (a) एक वीटो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोक सकता है।
   (b) यह सकारात्मक वोट शक्ति का एक प्रकार है।
   (c) परिषद के किसी भी फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर महासचिव इस शक्ति का उपयोग करता है।
   (d) सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है।
3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने गैर-स्थायी सदस्य हैं?
   (a) पांच (b) दस
   (c) पंद्रह (d) बीस
4. संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
   (a) महासभा के निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं।
   (b) सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों की अवधि तीन वर्ष है।
   (c) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास पांच वर्ष की अवधि के लिए चुने गए 20 न्यायाधीश हैं।
   (d) 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद को निलंबित कर दिया गया है।
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. सुरक्षा परिषद के केवल पांच स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति दी गई है।
   2. पांच स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है, इसलिए वे प्रक्रियात्मक मामलों में भी वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

   उपरोक्त विवरणों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2
6. संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं?
   (a) केवल अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी।
   (b) अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी।
   (c) अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और हिंदी।
   (d) अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश

7. संयुक्त राष्ट्र संगठन अस्तित्व में कब आया था?
   (a) 24 अक्टूबर 1945,
   (b) 24 अक्टूबर 1943,
   (c) 26 नवंबर 1945,
   (d) 26 नवंबर 1943
8. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
   (a) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की सिफारिश पर महासभा द्वारा।
   (b) वरिष्ठता और योग्यता के सिद्धांत पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सचिवालय के अधिकारियों में से।
   (c) सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा।
   (d) सुरक्षा परिषद द्वारा।
9. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है।
   2. सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य की तुलना में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद उतना शक्तिशाली नहीं है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2
10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. सुरक्षा परिषद के केवल पांच स्थायी सदस्य ही परमाणु अप्रसार संधि के तहत परमाणु हथियारों के देशों के रूप में जाने जाते हैं।
   2. परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2
11. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
   1. इसमें 15 सदस्य हैं।
   2. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसके गैर-स्थायी सदस्यों को चुना जाता है।
   3. निवृत्त सदस्य तत्काल पुन: चुनाव के लिए योग्य नहीं हैं।

   नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3
12. निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें:
   1. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
   2. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
   3. कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि
   4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

   इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं?
   (a) 1 और 2
   (b) 3 और 4
   (c) 1, 2 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4

13. सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    1. पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान 1992 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का गठन किया गया था।
    2. सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को 2013 में सतत विकास पर उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1 और न ही 2

14. यूएन वूमेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    1. संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष को 2011 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत महिलाओं के प्रति अन्य समर्पित एजेंसियों के साथ विलय कर दिया गया था।
    2. महिलाओं के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और महिलाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के तहत यूएन वूमेन को एक एकल एजेंसी के रूप में बनाया गया था।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1 और न ही 2

15. संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

    1. संयुक्त राष्ट्र का गठन राष्ट्रों के बीच युद्ध से बचने और शांतिपूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए किया गया था।
    2. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य वैश्विक समुदाय की रक्षा करने के लिए परमाणु हथियार बनाएंगे।
    3. संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन विवाद सहित सभी प्रमुख वैश्विक विवादों का समाधान किया है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

    (a) 1 और 2
    (b) 1 और 3
    (c) 2 और 3
    (d) केवल 1

16. 'महिलाओं के लिए विश्व सम्मेलन' क्या है?

    1. महिलाओं के लिए विश्व सम्मेलन महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक आयोजन है।
    2. अब तक, पांच सम्मेलन हुए हैं। अंतिम बीजिंग में आयोजित किया गया था।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1 और न ही 2

17. संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास कार्यक्रम (यूएन-हैबिटैट) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
    1. यूएन-हैबिटैट पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत मानव बस्ती गतिविधियों को समन्वयित करने का कार्य प्रभारित है।
    2. इसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन घरों का निर्माण करना है।
    3. यह मानव बस्ती की समस्याओं को हल करने में नीति और तकनीकी सलाह से देशों की सहायता करता है।

    नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

18. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है) के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही है/हैं?
    1. यह देशों के बीच कानूनी विवाद सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के लिए सलाहकार राय देता है।
    2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल एक देश ही दूसरे देश पर मुकदमा कर सकता है। न तो देश व्यक्ति/संगठन पर मुकदमा कर सकता है और न ही व्यक्ति/संगठन देश पर मुकदमा कर सकता है।
    3. आईसीजे नौ वर्ष की अवधि के साथ 15 न्यायाधीशों से बना है। एक प्रावधान है कि प्रत्येक न्यायाधीश को एक अलग राष्ट्र से होना चाहिए।

    नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3
    (d) 1, 2 और 3

19. निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें:
    1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
    2. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
    3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

    उपरोक्त में से किन एजेंसियों में नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3
    (d) 1, 2 और 3

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. विवाचन का स्थायी न्यायालय अंतरराष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पार्टियों के बीच विवादों को हल करने के लिए विवाचन न्यायाधिकरण की सेवाएं प्रदान करता है।
    2. पीसीए एक अदालत है और इसके पास 15 स्थायी न्यायाधीश हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1 और न ही 2

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2009)**
   1. संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) में 24 सदस्य राज्य होते हैं।
   2. इसका निर्वाचन तीन वर्ष की अवधि के लिए महासभा की दो-तिहाई बहुमत से होता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) ना तो 1और ना ही 2
2. निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बध्द नहीं है? **(2010)**
   (a) बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मल्टीलेटरल इनवेस्टमेंट गारंटी ऐजेंसी)
   (b) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपॉरेशन)
   (c) अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र (इंटरनेशनल सेंटर फॉर सैटिलमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट डिस्प्यूट्स)
   (d) अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटिलमेंट)
3. प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली 'बीजिंग घोषणा और कार्यवाई मंच (बीजिंग डिक्लरेशन ऐंड प्लैटफार्म फॉर ऐक्शन)' निम्नलिखित में से क्या है? **(2015)**
   (a) क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति (स्ट्रेटजी), शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन) की बैठक का एक परिणाम
   (b) एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में धारणीय आर्थिक संवृध्दि की एक कार्य योजना, एशिया-प्रशान्त आर्थिक मंच (एशिया-पैसिफिक इकनॉमिक फोरम) के विचार-विमर्श का एक परिणाम
   (c) महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम
   (d) वन्य जीवों के दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट) की एक उद्घोषणा
4. 'आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMCHUD)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2017)**
   1. प्रथम APMCHUD भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय 'उभरते शहरी रूप - नीति प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना था।
   2. भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की मेज़बानी, ADB, APEC और ASEAN की सहभागिता से करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2
5. बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास (UN-Habitat) की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं? **(2017)**

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों।
2. इसके साझीदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं।
3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेय जल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1

उत्तर कुंजी ☑

अभ्यास प्रश्न

1. (b)	**2.** (a)	**3.** (b)	**4.** (d)	**5.** (a)
6. (d)	**7.** (a)	**8.** (c)	**9.** (b)	**10.** (a)
11. (c)	**12.** (d)	**13.** (c)	**14.** (c)	**15.** (d)
16. (a)	**17.** (c)	**18.** (d)	**19.** (a)	**20.** (a)

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. (b)	**2.** (d)	**3.** (c)	**4.** (d)	**5.** (b)

अभ्यास प्रश्नों तथा पिछली प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समाधान

अध्याय 1 संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

अभ्यास प्रश्न

1. (b) वीटो शक्ति केवल स्थायी सदस्यों को दी गई है और यह शक्ति केवल 'गैर-प्रक्रियात्मक' मामलों पर लागू होती है। वीटो शक्ति 'प्रक्रियात्मक' मामलों पर लागू नहीं होती है।

2. (a) सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से किसी एक द्वारा वीटो का प्रयोग करके परिषद की कार्यवाही, प्रक्रियात्मक मामलों को छोड़कर, को रोका जा सकता है।

5. (a) कथन 2 सही नहीं है। वीटो शक्ति प्रक्रियात्मक मामलों पर लागू नहीं होती है।

8. (c) महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव नियुक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, महासचिव की नियुक्ति के लिए दो चरण की प्रक्रिया है - सुरक्षा परिषद द्वारा सिफारिश, जिसके बाद महासभा द्वारा लिया गया निर्णय।

9. (b) कथन 1 गलत है। महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है।

10. (a) कथन 2 गलत है। परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो साल है।

11. (c) कथन 2 गलत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थाई सदस्यों को क्षेत्रीय समूहों (महासभा द्वारा नहीं) द्वारा चुना जाता है। गैर-स्थायी सदस्यों के चयन के बाद उनकी नियुक्ति को चुनाव के माध्यम से महासभा द्वारा मंजूरी दी जाती है। प्रत्येक चुने हुए सदस्य को दो-तिहाई बहुमत से वोट की आवश्यकता होती है।

12. (d) सभी दी गई एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां हैं। विशेष एजेंसियां अपने स्वयं के नियम, सदस्यता, अंग और वित्तीय संसाधनों के साथ कानूनी रूप से स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं।

13. (c) कथन 1 सही है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन/पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणामों की निगरानी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास आयोग (सीएसडी) का गठन किया गया।

कथन 2 सही है। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में (रियो +20) सदस्य राज्य उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच स्थापित करने पर सहमत हुए जो बाद में सतत विकास आयोग को प्रतिस्थापित करेगा। इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र आयोग पर सतत विकास (सीएसडी) को वर्ष 2013 में सतत विकास पर उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

14. (c) कथन 1 सही है। यूएन वूमेन का गठन संयुक्त राष्ट्र की चार एजेंसियों और कार्यालयों का विलय करके किया गया था: संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष (यूनिफेम), महिला संवर्धन प्रभाग, लिंगाधारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय और महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान। यह जनवरी 2011 में परिचालित हो गया था।

कथन 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक समान संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाने के लिए मतदान किया था।

15. (d) कथन 2 गलत है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में ऐसी कोई बात नहीं है।

कथन 3 गलत है। संयुक्त राष्ट्र वास्तव में एक प्रभावी संस्थान है। यह कई अंतरराष्ट्रीय विवादों और अंतरराष्ट्रीय मामलों के निपटारे में एक अचल भूमिका निभाता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं और कमियां हैं, जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय विवादों के खराब निपटारे और युद्ध को रोकने में असमर्थता में दिखाई देती हैं। क्षेत्रीय विवादों को हल करने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता का एक उदाहरण फिलिस्तीन मुद्दा है।

16. (a) कथन 2 गलत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के लिए चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। ये सम्मेलन 1975 में मैक्सिको सिटी में, 1980 में कोपेनहेगन, 1985 में नैरोबी और 1995 में बीजिंग में हुए थे।

17. (c) कथन 2 सही नहीं है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है।

19. (a) दी गई एजेंसियों में से केवल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है।

20. (a) कथन 2 गलत है। पीसीए एक अदालत नहीं है और पीसीए में स्थायी न्यायाधीश नहीं हैं।

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. (b) कथन 1 गलत है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य राज्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तीन साल के लिए दो तिहाई बहुमत से चुने जाते हैं।

2. (d) अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक (बेंक फॉर इंटरनेशनल सैटिलमेंट) संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है। अन्य सभी एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां हैं।

3. (c) बीजिंग घोषणा और कार्यवाई मंच सितंबर 1995 में महिलाओं के लिए चौथे विश्व सम्मेलन का परिणाम था। कार्यवाई मंच ने चिंता के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के तहत व्यापक प्रतिबद्धताओं का निर्माण किया। प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जहां प्रत्येक महिला और लड़की अपनी स्वतंत्रता और विकल्पों का उपयोग कर सकती हैं और अपने सभी अधिकारों को महसूस कर सकती हैं, जैसे कि हिंसा से मुक्त रहना, स्कूल जाना, निर्णय लेना और बराबर काम के लिए बराबर वेतन कमाना।

4. (d) कथन 1 गलत है। पहला आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में 2006 में आयोजित किया गया था और विषय था '2020 तक एशिया-प्रशांत में सतत शहरीकरण के लिए एक दृष्टि'।

कथन 2 गलत है। एपीएमसीएचयूडी का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विभिन्न देशों में आयोजित एक द्विवार्षिक सम्मेलन है।

5. (b) कथन 2 गलत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास ने सभी स्तरों पर सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र, प्रासंगिक हितधारकों और शहरी संस्थानों के साथ सहयोग किया है।

अध्याय 2 क्षेत्रीय संगठन, संघ और समूहीकरण (Regional Organizations, Associations and Groupings)

अभ्यास प्रश्न

2. (a) यूरोपीय संघ औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था जब मास्ट्रिच संधि 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी।

3. (d) कज़ाखस्तान के अस्ताना में वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों की स्थिति पर्यवेक्षक से एससीओ के सदस्य देशों में उन्नयन कर दी गई है।

6. (a) जी-7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है।

9. (b) आसियान के सदस्य राष्ट्र: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम।

10. (a) कथन 1 गलत है। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए ब्रेक्सिट ब्रिटेन (अधिक सटीक रूप से यूके के लोगों) का निर्णय था।

कथन 2 गलत है। यूरोपीय संघ को छोड़ने की प्रक्रिया लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 में स्पष्ट है।

मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति

एक अच्छा उत्तर निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है।

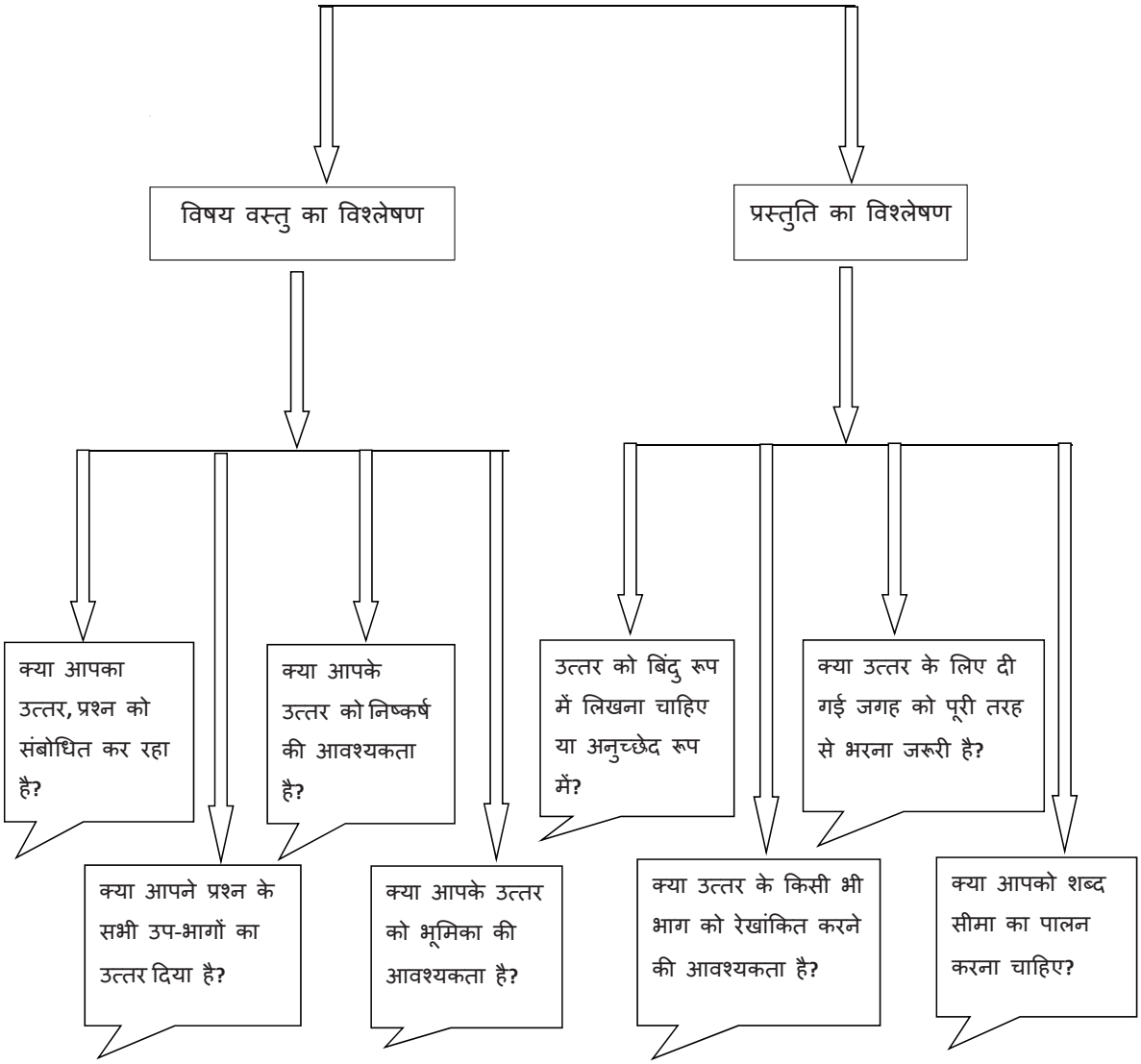

आइए, हम चित्र में दिए गए पहलुओं पर विचार करते हैं।

1. **क्या आपका उत्तर, प्रश्न को संबोधित कर रहा है?**

कम अंक आने का सबसे सामान्य कारण अभ्यर्थी की प्रश्न को समझने की क्षमता में कमी होना है।

क्या आपने कभी भी किसी अभ्यर्थी को यह कहते हुए सुना है कि मैंने लगभग सभी (या सभी) प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं मुख्य परीक्षा पास नहीं कर सका?

संभवतया: आप ऐसे अभ्यर्थी से मिले हैं, जिसके उत्तरों ने प्रश्नों को संबोधित नहीं किया; अर्थात उसने प्रश्नों को पूरी तरह से समझे बिना ही उत्तर लिख दिए।

प्रश्न को ठीक से कैसे संबोधित करना है, यह समझने के लिए हम प्रत्येक प्रश्न को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: 'कथन' और 'अनुदेश'।

उदाहरण के लिए

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिए गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधिदेश (मैंडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी है? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये। (2014)

हम प्रश्न के अंतिम उप भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये।

प्रश्न के इस भाग में, कथन है 'खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत का मत' और अनुदेश 'समालोचनापूर्वक विश्लेषण' है।

मान लीजिए कि एक उम्मीदवार खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत का मत बताता है। ऐसे उम्मीदवार के अंक में गंभीर रूप से कटौती की जाएगी।

'समालोचनापूर्वक विश्लेषण' का अर्थ किसी विषय के पक्ष और विपक्ष की पहचान करना है। एक उम्मीदवार जो भारत के मत का 'समालोचनापूर्वक विश्लेषण' कर रहा है, वह तर्क देगा कि भारत का मत उचित क्यों है और क्यों भारत का मत उचित नहीं है। इसके बाद, उम्मीदवार भारत के मत पर अंतिम निष्कर्ष निकालेगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी विशेष अनुदेश को किसी प्रश्न के उप-भाग से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, उप-भागों की संख्या की तरह एक प्रश्न में कई अनुदेश हो सकते हैं।

वे कौन से अनुदेश हैं, जिनका प्रयोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किया जाता है? इन अनुदेशों से क्या तात्पर्य है?

यहां आपके लिए एक साधारण सूची दी जा रही है। आगे के पन्नों में हम, पिछले साल के प्रश्नों को हल करते हुए इन 'अनुदेशों' का प्रयोग करना सीखेंगे।

1. **गणना करें:** कई चीजों को एक-एक करके बताएं या चीजों की सूची दें।
2. चिन्हांकित **करें (प्रकाश डालिए):** विशिष्ट रूप से दर्शाना।
3. **सारांश :** सारांश दें, संक्षिप्त करना।

'मोतियों के हार' (द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) से आप क्या समझते हैं? यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रुपरेखा दीजिए। (2013)

4. **चर्चा (विवेचना) करें:** अलग-अलग मुद्दों या विचारों को ध्यान में रखकर, विषय को विस्तार से लिखिए।

पिछले वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा) समाधान के साथ

1. भारत-श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में, विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक (देशीय) कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। (2013)

Sol.

प्रश्न का विश्लेषण	
विवेचना कीजिए	इस प्रश्न के हल के लिए, समस्या या स्थिति को विभिन्न भागों में तोड़ने और इन भागों के पूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है।
उप-भागों की संख्या	एक भाग
प्रस्तुति का तरीका	अनुच्छेद रूप
निष्कर्ष का महत्व	आवश्यक है

भूमिका

देशीय कारक विदेशी नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। भारत-श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में ऐसा प्रभाव गहरा है।

मुख्य भाग

श्रीलंका में तमिलों को कई भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तमिलों द्वारा निवास किए गए क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित हैं, उनकी भाषा को हाल ही में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है और श्रीलंका में प्रशासन की एकात्मक प्रणाली लागू है; इस प्रकार, तमिलों के पास आत्मनिर्णय की शक्तियों की कमी है।

भारत में तमिल, श्रीलंका में तमिलों के साथ मजबूत जातीय संबंध साझा करते हैं। इस प्रकार, श्रीलंकाई तमिलों के लिए भारत में तमिलों के बीच एक मजबूत समर्थन है। भारत सरकार श्रीलंका के साथ अपने संबंध प्रबंधन में भारतीय तमिलों की भावनाओं को ध्यान में रखती है।

भारत सरकार दोहरी रणनीति अपनाती है। सबसे पहले, श्रीलंका के साथ निरंतर वार्ता और तमिल मुद्दे को संबोधित करने के लिए श्रीलंका द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा। दूसरा, तमिल निवास क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कल्याणकारी गतिविधियां जैसे घरों, रेलवे लाइन का निर्माण, कृषि में सहायता इत्यादि ।

घरेलू कारकों द्वारा निर्देशित भारत और श्रीलंका के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मछुआरों का मुद्दा है। भारतीय मछुआरों की श्रीलंकाई जल में प्रवेश करने की प्रवृत्ति है। फलस्वरुप, श्रीलंकाई नौसेना उनके खिलाफ कार्रवाई करती है जैसे नौकाओं को जब्त करना, गिरफ्तारी, और यहां तक कि देखते ही गोली मारना। भारत के मजबूत मछुआरे समुदाय ने मछुआरों और उनकी नौकाओं को छोड़ने के लिए भारत सरकार को प्रभावित किया है। मछुआरा समुदाय तुरंत आधार पर गिरफ्तारी के मुद्दे को हल करने के लिए श्रीलंका के अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच सीधी हॉटलाइन चाहता है।

निष्कर्ष

भारत और श्रीलंका के बीच दो महत्वपूर्ण मुद्दे- तमिलों और मछुआरों का मुद्दा घरेलू कारकों द्वारा प्रभावित हैं।

2. गुजराल सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिए। (2013)

Sol.

प्रश्न का विश्लेषण	
विवेचना कीजिए	अलग-अलग मुद्दों या विचारों को ध्यान में रखते हुए विषय को विस्तार से लिखें। निर्देश दूसरे उप-भाग से जुड़ा हुआ है।
उप-भागों की संख्या	दो भाग भाग I-गुजराल सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? भाग II- क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है?

प्रश्न का विश्लेषण	
प्रस्तुति का तरीका	बिंदु रूप
निष्कर्ष का महत्व	उत्तर के भाग II में विलय

गुजराल सिद्धांत

एच डी देवेगौड़ा सरकार (1996-1997) के कार्यकाल के दौरान, इंद्र कुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों को प्राप्त करने के लिए सितंबर 1996 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में गुजराल सिद्धांत को व्यक्त किया और दक्षिण एशिया में भारत को नेता के रूप में चित्रित किया। इस सिद्धांत ने पड़ोसियों से मांग की तुलना में, उन्हें अधिक रियायत देने पर जोर दिया। इस सिद्धांत में पांच सिद्धांत शामिल है, जो निम्नलिखित है

1. दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा राष्ट्र होने के नाते, भारत को पड़ोसियों से मांग की तुलना में उन्हें अधिक रियायत देनी चाहिए।
2. कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने क्षेत्र को दूसरे देश के हित के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा।
3. कोई भी दक्षिण एशियाई देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
4. दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।
5. दक्षिण एशियाई देशों को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सभी विवादों को हल करना चाहिए।

वर्तमान समय में गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता

वर्तमान परिदृश्य में गुजराल सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिकता रखता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए सिद्धांत कई तरीकों से वरदान साबित हो सकता है।

1. यदि भारत पारस्परिकता की मांग किए बिना अन्य देशों के लिए कुछ कर सकता है, तो ऐसा कदम पड़ोसियों के साथ अविश्वास को हल करने में मदद करेगा। हाल के दिनों में, पाकिस्तान, नेपाल और यहां तक कि श्रीलंका के साथ इस तरह का अविश्वास मौजूद है। अविश्वास का समाधान भारत-पाक सीमा विवाद जैसे विवाद निपटारे के लिए परिदृश्य उत्पन्न करेगा और सकारात्मक सहयोग के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा।
2. गुजराल सिद्धांत अनिवार्य करता है कि दक्षिण एशियाई देशों को किसी अन्य देश के हित के खिलाफ अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार, इस सिद्धांत के आधार पर, भारत म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों से चीन को बेदखल कर सकेगा।
3. सिद्धांत के प्रयोग से चीन का भारत के पड़ोसियों पर प्रभाव कम हो जाएगा और इस क्षेत्र में भारत के लिए सद्भावना उत्पन्न होगी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के लिए, इस सिद्धांत ने वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिकता प्राप्त की है क्योंकि भारत और उसके कुछ पड़ोसियों के बीच अविश्वास, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ चरम पर है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव है।

3. हाल के कुछ वर्षों में भारत व जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है पर अब भी वह उनकी संभाविता से बहुत कम है। उन नीतिगत दबावों (व्यवरोधों) को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण यह विकास अवरुद्ध है। (2013)

नोट: यह प्रश्न वर्ष 2013 के सामयिकी मामलों पर आधारित था।

4. वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल (ISAF) की अफ़गानिस्तान से प्रस्तावित वापसी